

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)
(Constituted under Indian Medicine Central Council Act, 1970)



वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा
2008-2009
Annual Report and Audited Accounts
2008-2009



61-65, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी
नई दिल्ली-110058

61-65 Institutional Area, Janakpuri
New Delhi-110058

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली
वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन**

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3(II) दिनांक 10.08.1971 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा उक्त राजपत्र में समय-समय पर संशोधन करते हुए सदस्यता में परिवर्तन किया गया है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न है :-

- i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना ।
- ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्यता (समावेश/से मान्यता को वापिस लिए जाने) से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना ।
- iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के लिए आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।
- v) भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या अतिरिक्त विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पर विचार करना व भारत सरकार को अनुशंसाएँ भेजना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति में यथा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को बनाती एवं लागू करती रही है ।

परिषद् द्वारा स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न पाठ्यक्रम पहले से ही विहित किए जा चुके हैं। परिषद् द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विवरण एवं पाठ्यविधि सहित शिक्षा के न्यूनतम मानक भी विहित किए गए हैं :-

आयुर्वेद

आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
आयुर्वेद वाचस्पति एम.डी. (आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेद धन्वन्तरि एम.एस. (आयुर्वेद)	3 वर्ष

यूनानी तिब्ब

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
माहिर-ए-तिब्ब-एम.डी. (यूनानी)	3 वर्ष
माहिर-ए-जराहत एम.एस. (यूनानी)	3 वर्ष

सिद्ध

सिद्ध मरूथ्वा अरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
सिद्ध मरूथ्वा पेरिग्नर- एम.डी.(सिद्ध)	3 वर्ष

अब भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर तथा पाठ्यविधि एवं पाठ्य-विवरण का अनुसरण कर रहे हैं ।

भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में 07-11-03 से पूर्व स्थापित महाविद्यालयों को भारत सरकार से अनुमति लेने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (विद्यमान महाविद्यालयों को अनुमति) विनियम, 2006" विहित किए गए थे ।

इन विनियमों के तहत 07.11.03 से पूर्व स्थापित महाविद्यालयों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अन्तर्गत अनुमति हेतु 07.11.06 तक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त के अनुपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद के 243, यूनानी के 49 तथा सिद्ध के 8 महाविद्यालयों का परिदर्शन कराया जिससे कि भारत सरकार के द्वारा धारा 13 ग के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिए अनुमति पत्र जारी करने/न करने के सम्बन्ध में अनुशंसा भेजी जा सके तथा निम्न नीति निर्णय के अनुरूप भारत सरकार को अनुशंसायें भेजी गईं।

1. स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता के अनुसार शिक्षण स्टाफ की पूर्ण संख्या का कम से कम 80% शिक्षण स्टाफ होना चाहिए।
2. उच्च संकाय (प्रोफेसर एवं रीडर) 33% की उपलब्धता।
3. स्नातकोत्तर हेतु अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए।
4. महाविद्यालय तथा अस्पताल का क्षेत्र उस महाविद्यालय तथा अस्पताल के निर्मित क्षेत्र अर्थात् 40,000 वर्ग फीट का 80% अर्थात् 32,000 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिये।
5. 100 शय्याओं का अस्पताल पूर्व-अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त छात्रों-शय्याओं का अनुपात 1:2 का पालन किया जाना चाहिए।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु निम्नलिखित नीति भी बनाई है।

1. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रबन्धन केवल भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव सुनिश्चित किये जाने के बाद ही उन्हें नियुक्त या प्रोन्नत करेगा।
2. नियुक्त शिक्षकों को सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखना अनिवार्य होगा। यदि वे उपलब्ध न हों, तब समवर्गी विषय के तौर पर अनुमोदित स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं।

टिप्पणी

- (अ) यूनानी तिब के विषय में, चूंकि यहाँ स्नातकोत्तर मात्र छः विषयों में ही है और वह भी छोटी संख्या में प्रवेश के साथ केवल कुछ ही संस्थानों में, अतः जब तक सभी विषयों में पर्याप्त संख्या में स्नातकोत्तर उपलब्ध नहीं हो जाते, उस समय तक स्नातकों की नियुक्ति शिक्षकों के तौर पर की जा सकती है।
 - (ब) सिद्ध चिकित्सा पद्धति के विषय में, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13.10.2006 से पहले नियुक्त किये गये स्नातक शिक्षक शिक्षकों के तौर पर कार्य करने के लिये पात्र होंगे।
3. शिक्षक केवल उसी विषय/विभाग में पदोन्नति के लिये पात्र है जिसमें वह शिक्षण अनुभव रखता है।
 4. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा इन दिशा निर्देशों के जारी होने के तीन माह के भीतर प्रत्येक शिक्षक को एक विशिष्ट व्यक्तिगत कोड के साथ एक परिचय पत्र जारी किया जायेगा।

5. नियमित शिक्षकों की पुष्टि के विषय में, उपरोक्त के अतिरिक्त उन्हें उनके निवास स्थान की प्रमाणिकता हेतु निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
 - (क) उनके नाम के दूरभाष/बिजली/पानी के बिल की प्रमाणित प्रति।
 - (ख) बैंक स्टेटमेंट/राशन कार्ड/पेन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति।
 - (ग) निवास का किराया समझौता पत्र, उन शिक्षकों के मामले में जो किराये के मकान/अपार्टमेंट में निवास कर रहे हैं।
6. नियुक्ति प्राधिकारी 10 रुपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर शिक्षक से शपथ-पत्र लेगा कि वह किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग/महाविद्यालय में न तो काम कर रहा है और न ही एम.डी./पी.एच.डी. का नियमित/पूर्णकालिक विद्यार्थी है तथा साथ ही यह वचन भी लेगा कि यदि कोई कथन असत्य पाया जाता है तो प्रबन्धन/विश्वविद्यालय/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही उस पर बाध्यकारी होगी।
7. यदि किसी शिक्षक को सीधे रीडर/प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है तो महाविद्यालय प्रबन्धन को उसकी योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्रों तथा पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी कार्य मुक्त आदेश की जांच करनी चाहिये। नियुक्ति तिथि के 30 दिन के भीतर उस शिक्षक की योग्यता/अनुभव प्रमाण-पत्रों के साथ उसके नियुक्ति आदेश की प्रतियाँ एवं उसके पासपोर्ट साइज फोटो तथा जीवनवृत्त के साथ पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी कार्यमुक्त आदेश भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय में भेज दिया जाना चाहिये।
8. कॉलेज प्रबन्धन द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को उस शिक्षक के बारे में कारण सहित सूचित किया जाना चाहिये जो तीन महीने से अधिक समय के लिये अवकाश पर जाता है।
9. यदि अभिलेख का अवलोकन करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि अमुक शिक्षक राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अन्य महाविद्यालय/विभाग में कार्य कर रहा है या किसी अन्य महाविद्यालय को केवल अपना नाम देकर बिना पढ़ाये वेतन प्राप्त कर रहा है तो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित कार्यवाही कर उसे दण्डित करेगी :-
 - (अ) पहली बार अपराध करने पर, शिक्षक तथा संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा। परिणामतः किसी अन्य महाविद्यालय में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिये अयोग्य होगा। किसी सरकारी विभाग/महाविद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षक के मामले में, उस शिक्षक के खिलाफ आवश्यक

दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् उसके प्राधिकारी को सम्बोधित करेगी ।

(ब) दूसरी बार अपराध करने पर, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् उस शिक्षक का चिकित्सीय पंजीयन निरस्त करने अथवा उस शिक्षक के खिलाफ उचित कार्यवाही करने हेतु मामला उस राज्य के बोर्ड/परिषद् को सौंप देगी ।

10. सभी महाविद्यालयों द्वारा शिक्षण स्टाँफ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वेतनमान दिया जाना चाहिये। वेतन का भुगतान केवल बैंक के द्वारा होना चाहिये। शिक्षण तथा अन्य स्टाँफ का बैंक सम्बन्धी अर्धवार्षिक विवरण भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय को भेजा जाना चाहिये।

11. संविदा/प्रतिनियुक्ति अथवा मानद आधार पर नियमित शिक्षक के पद पर की गई नियुक्ति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

12. 65 वर्ष की आयु के पश्चात् शिक्षक संकाय सदस्य के रूप में सेवायें जारी नहीं रख सकेंगे ।

13. चयन समिति का गठन करते समय उसमें सम्बद्ध विश्वविद्यालय का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये।

14. महाविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये शिक्षक के पास राज्य बोर्ड/परिषद् अथवा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिये।

15. दिनांक 01.07.1989 से पूर्व नियुक्त किये गये स्नातक शिक्षक, शिक्षक के रूप में मान्य होंगे। यदि कोई शिक्षक संस्था बदलना चाहता है तो उसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

नोट : सरकारी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को छूट है।

16. दिनांक 01.07.1989 के पश्चात् नियुक्त किये गये स्नातक शिक्षक, शिक्षक के रूप में मान्य नहीं होंगे ।

नोट : यूनानी तिब्ब तथा सिद्ध के विषय में, नीति में दिया गया कम संख्या-2 का नोट लागू होगा ।

17. केवल स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षक ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ाने हेतु पात्र हैं।

18. यदि विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य संस्था में छात्र द्वारा बिना प्रशिक्षण पूर्ण किये हुये ही छात्रों को विशिखानुप्रवेश का समापन प्रमाण पत्र जारी करते हैं तो वे अनुशासनिक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे ।

19. महाविद्यालय प्राधिकारियों को उन शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

करने के निर्देश दिये गये हैं जो अनियमित हैं तथा जो उन्हें सौंपे गये कार्य/कर्तव्य/शिक्षण कार्य को पूरा नहीं कर रहे हैं।

20. प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त प्रधानाचार्य संकाय सदस्य भी होगा।

21. प्राचार्य का पद रिक्त नहीं रखा जाना चाहिये तथा कोई भी अस्थाई व्यवस्था तीन महीने से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिये ।

22. किसी एक विशेष महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक को कम से कम शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक उस महाविद्यालय में कार्य करना चाहिये।

नोट : यह उस मामले में लागू नहीं होगा जब प्राइवेट महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक सरकारी/अनुदान में सहायता प्राप्त संस्थाओं/विश्वविद्यालय में नौकरी प्राप्त करता है।

23. प्रत्येक महाविद्यालय में निम्नलिखित स्टाँफ प्रतिरूप होना चाहिये : -

(अ) प्राध्यापक

(ब) प्रवाचक

(स) व्याख्याता

24. मार्ग दर्शक/पर्यवेक्षक को देखना चाहिये कि स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा लिखा गया शोध प्रबन्ध कार्य कहीं विभिन्न स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा पूर्व में किये गये कार्य की पुनरावृत्ति अथवा पुनरुत्पत्ति तो नहीं है। ऐसे किसी उल्लंघन के लिये मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक जिम्मेवार होगा तथा दांडिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा ।

उक्त नीति को सभी राज्य सरकारों, निदेशकों, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को लागू करने हेतु जारी किया गया ।

डॉ. शिवानन्दम के दुःखद निधन पर, जबकि वे महाविद्यालयों के परिदर्शन हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्य पर थे, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने पूरी सहृदयता के साथ एक लाख रुपये शोक सन्तप्त परिवार के लिये स्वीकृत किये तथा भविष्य में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों तथा कर्मचारियों के लिये इस प्रथा को जारी रखने हेतु अध्यक्ष राहत कोष बनाया ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये, केन्द्रीय परिषद् ने इस विषय पर अपनी सहमति प्रकट की तथा सदस्यों को किये जाने वाले बैठक भत्ता के भुगतान के 25% से कोष को बढ़ाने का निर्णय लिया ।

कार्यालय द्वारा लिफ्ट के सामने सदस्यों एवं परिदर्शकों हेतु कक्ष एवं समिति कक्ष बनाये गये हैं।

भारत सरकार की स्वीकृत से बैठकों के दौरान, सदस्यों को सिटिंग फीस रु. 1000/-प्रतिदिन का भुगतान प्रारम्भ किया गया है जो कि पूर्व में कभी नहीं हुआ था ।

दिनांक 17.02.2009 से 20.02.2009 तक "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की राष्ट्रीय कार्यशाला -2009" का आयोजन बंगलौर में किया गया, जिसके दौरान स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का पुनरवलोकन करने हेतु 300 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हैं। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण और उसका अद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है ।

वर्ष 2008-09 के दौरान, निम्न राज्यों की केन्द्रीय पंजिका को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए भारत के राजपत्र भाग III, अनुभाग IV में अधिसूचित किया गया।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अवधि
1.	आन्ध्र प्रदेश	01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2006
2.	बिहार	01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2007
3.	छत्तीसगढ़	01 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2008
4.	गोवा	अप्रैल, 2004 से 30 सितम्बर, 2006
5.	गुजरात	01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2006
6.	हरियाणा	01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2007
7.	जम्मू एवं कश्मीर	प्रारम्भ से 30 सितम्बर, 2005
8.	उत्तर प्रदेश	01 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2006
9.	पश्चिम बंगाल	01 अप्रैल, 2004 से 31 जनवरी, 2007
10.	उड़ीसा	01 जनवरी, 2005 से 07 मार्च, 2007

निम्न राज्यों की केन्द्रीय पंजिका को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए तैयार किया गया तथा भारत सरकार, मुद्रणालय को भारत के राजपत्र भाग III, अनुभाग IV में अधिसूचित करने हेतु भेजा गया : -

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अवधि
1.	हरियाणा	01 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007
2.	केरल	01 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2007
3.	मध्य प्रदेश	01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2007
4.	तमिलनाडु (सिद्ध)	01 जनवरी, 1998 से 31 दिसम्बर, 2006
5.	तमिलनाडु (आयुर्वेद)	01 अप्रैल 2003 से 31 दिसम्बर, 2006

प्रशासनिक प्रतिवेदन
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
की संरचना

वर्तमान केन्द्रीय परिषद् के दिनांक 31 मार्च, 2009 के अनुसार निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. वैद्य रघुनन्दन शर्मा | 26. डा. के. अनिल कुमार |
| 2. डा. जयप्रकाश नारायण | 27. डा. रणवीर सिंह परिहार |
| 3. डा. प्रमोद कुमार जैन | 28. डा. राजेश शुक्ला |
| 4. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी | 29. डा. सतीश दत्त गर्ग |
| 5. डा. निरंजन सिंह त्यागी | 30. डा. ज्ञानकुमार आहूजा |
| 6. डा. सिवानन्दम (18 जनवरी 2009 तक) | 31. डा. किशन विट्ठलदास शाह |
| 7. डा. एस.के. शर्मा | 32. डा. रमेश कृष्ण देशमुख |
| 8. प्रो. बनवारी लाल गौड़ | 33. वैद्य जगजीत सिंह |
| 9. प्रो.महेश चन्द्र शर्मा | 34. डा. मुकेश वालिया |
| 10. प्रो. रामबाबू रामाधर द्विवेदी | 35. डा. महेन्द्र कुमार शर्मा |
| 11. डा. एस.एस. सावरीकर | 36. डा. पी. नारायणन |
| 12. प्रो. कुलवन्त सिंह | 37. डा. हरीराम भदौरिया |
| 13. डा.रामनाथन देवराज अय्यर | 38. डा. कमलेश कुमार वर्मा |
| 14. डा. गजेन्द्र भराली | 39. डा. आनन्द वर्धन द्विवेदी |
| 15. डा. देवव्रत नारायण सिंह | 40. डा. सुरेश चन्द्र गुप्ता |
| 16. डा. मेरी वमन रेड्डी | 41. डा. कमल किशोर सिजोरिया |
| 17. डा. अलखनारायण सिंह | 42. डा. वी.वी.चिकारा |
| 18. डा. इन्द्र मोहन झा | 43. डा. अमिताभ कुमार |
| 19. डा. ओम प्रकाश वशिष्ठ | 44. डा. पी.जे. जॉबी |
| 20. डा. सुखदेव सिंह वंशिया | 45. डा. बी.के.जयसिंह |
| 21. डा. अशोक कुमार शर्मा | 46. डा. सी. रत्नाकरण |
| 22. डा. कृष्ण चन्द्र शर्मा | 47. डा. एस. बन्नीगोल |
| 23. डा. बिमला चौधरी | 48. डा. आनन्द वी. जोशी |
| 24. डा. रूप लाल शर्मा | 49. डा. गजेन्द्र सिंह कलचुरी |
| 25. डा. के.चन्द्रशेखर बलाल | 50. प्रो. जयराम यादव |
| | 51. प्रो. वी. के. जोशी |

52. डा. एस. माधवन
53. डा. स्वप्न कुमार भूनिया
54. डा. (श्रीमती) पूजा भारद्वाज
55. डा. युवराज कुमार त्यागी
56. डा. बटुक शंकर जोशी
57. डा. वी.आर. शेषाद्री

58. डा. एम.एम. जुमले
59. डा. पी. राम मनोहर
60. डा. के.जी. चन्द्रप्पा
61. डा. एम. मोहन अल्वा
62. डा. एम.आर. वासुदेवन नम्बूदरी
63. डा. एम.ए. शाहजहाँ

यूनानी

1. प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह
2. हकीम सऊद अली खान
3. प्रो. अब्दुल मोबिन खान
4. डा. मोहम्मद खालिद सिद्धीकी
5. डा. एम.ए. जाफरी
6. डा. महमूद अली
7. डा. मोहम्मद अख्तर मसूद सिद्धकी
8. डा. कमरुजमा
9. डा. अबू बकर खान
10. डा. बशीर अहमद

11. प्रो. एस. जियाउद्दीन
12. हकीम शमीम अहमद सईदी
13. डा. मदन सिंह जाखड़
14. डा. रशीदुल्लाह खान
15. हकीम सैयद फैजान अहमद
16. डा. काजी रजिउद्दीन अहमद
17. डा. श्रीमती आलिया अमान
18. डा. हकीम साकिब हुसैन
19. डा. अब्दुल हफीज

सिद्ध

1. डा. वी. स्टेनले जोन्स
2. डा. एस. भूपतिराज

3. डा. वी. अरुणाचलम
4. डा. सेल्लामुथु

समितियां

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं यथा :-

- 1 आयुर्वेद समिति
- 2 सिद्ध समिति
- 3 यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित/मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 उपधारा (2) के प्रावधानानुसार अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. अध्यक्ष | वैद्य रघुनन्दन शर्मा |
| 2. उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) | डा. जयप्रकाश नारायण |
| 3. उपाध्यक्ष (यूनानी तिब्ब) | प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह |
| 4. उपाध्यक्ष (सिद्ध) | डा. वी. स्टेनले जोन्स |

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचों में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 की धारा 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तीनों पद्धतियों के सदस्य सम्मिलित हैं।

कार्यकारिणी समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :-

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. वैद्य रघुनन्दन शर्मा | सभापति |
| 2. डा. जयप्रकाश नारायण | सदस्य (पदेन) |
| 3. प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह | सदस्य (पदेन) |
| 4. डा. वी.स्टेनले जोन्स | सदस्य (पदेन) |
| 5. डा. प्रमोद कुमार जैन | सदस्य |
| 6. डा. सिवानन्दम (18 जनवरी 2009 तक) | सदस्य |
| 7. प्रो. अब्दुल मोबिन खान | सदस्य |
| 8. वैद्य वेद प्रकाश त्यागी | सदस्य |
| 9. डा. वी. अरुणाचलम | सदस्य |
| 10. डा. निरंजन सिंह त्यागी | सदस्य |
| 11. डा. मोहम्मद खालिद सिद्दीकी | सदस्य |

परिषद् एवं समितियों की बैठक

वर्ष 2008-2009 के दौरान निम्न बैठकें हुई :-

1. दिनांक 04.04.2008 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
2. दिनांक 04.04.2008 को चयन समिति की बैठक
3. दिनांक 16.04.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु जांच समिति की बैठक
4. दिनांक 24,25 एवं 26.04.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु छानबीन समिति की बैठक
5. दिनांक 08 एवं 09.05.2008 को बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के अंग्रेजी अनुवाद को अन्तिम रूप देने हेतु उप-समिति (यूनानी) की बैठक
6. दिनांक 20 एवं 21.05.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
7. दिनांक 23.05.2008 को अष्टांग हृदयम के पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु बैठक
8. दिनांक 26 एवं 27.05.2008 को यूनानी महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
9. दिनांक 29.05.2008 से 02.06.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच हेतु जांच समिति की बैठक

10. दिनांक 03 एवं 04.06.2008 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
11. दिनांक 04.06.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
12. दिनांक 04.06.2008 को यूनानी महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
13. दिनांक 07 से 11.06.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
14. दिनांक 11.06.2008 को यूनानी महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
15. दिनांक 11.06.2008 को सिद्ध महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
16. दिनांक 12, 13 एवं 14.06.2008 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
17. दिनांक 14.06.2008 को यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
18. दिनांक 14,15,16,17,18,19 एवं 20.06.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
19. दिनांक 18,19,20 एवं 25.06.2008 को यूनानी महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
20. दिनांक 24 एवं 25.06.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
21. दिनांक 28.06.2008 को कार्यकारिणी समिति की स्थगित बैठक
22. दिनांक 27.06.2008 को यूनानी महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
23. दिनांक 29 एवं 30.06.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
24. दिनांक 02,03,04.07.2008 को आयुर्वेद महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु जांच समिति की बैठक
25. दिनांक 08.07.2008 को आयुर्वेद विशेषज्ञों एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर के साक्षात्कार हेतु उपाध्यक्षों की बैठक
26. दिनांक 09.07.2008 को विभिन्न विशेष विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स तैयार करने हेतु उप-समिति की बैठक

27. दिनांक 14.07.2008 को कार्यकारिणी समिति की स्थगित बैठक
28. दिनांक 29.07.2008 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
29. दिनांक 29.07.2008 को सदस्य, भा.चि.के.प. के विरुद्ध डा. कृष्ण कुमार की शिकायत पर जांच समिति की बैठक
30. दिनांक 19.08.2008 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
31. दिनांक 26.08.2008 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
32. दिनांक 27 एवं 28.08.2008 को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की बैठक
33. दिनांक 27.08.2008 को शिक्षा समिति (यूनानी) की बैठक
34. दिनांक 27.08.2008 को यूनानी समिति की बैठक
35. दिनांक 27.08.2008 को सिद्ध समिति की बैठक
36. दिनांक 20.09.2008 को यूनानी विशेषज्ञ के पद हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु 03 उपाध्यक्षों की बैठक
37. दिनांक 06.10.2008 को जांच समिति की बैठक
38. दिनांक 23.10.2008 को जांच समिति की बैठक
39. दिनांक 23 एवं 24.10.2008 को आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों की परिदर्शन के निदर्शन प्रपत्र के संशोधन हेतु बैठक
40. दिनांक 04.11.2008 को यूनानी चिकित्सा शास्त्र के प्री-तिब कोर्स के पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु उप-समिति की बैठक
41. दिनांक 05.11.2008 को यूनानी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सम्बद्ध विषयों को तैयार करने हेतु उप-समिति की बैठक
42. दिनांक 04.11.2008 को चयन समिति की बैठक
43. दिनांक 11-13.11.2008 को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क एवं 13 ग के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों एवं अस्पताल के परिदर्शन प्रपत्र में संशोधन हेतु बैठक
44. दिनांक 27.11.2008 को डा. जगजीत सिंह की हवाई यात्रा के विषय की जांच हेतु उप समिति की बैठक
45. दिनांक 27.11.2008 को डा. एस.डी. गर्ग, डा. बी.के. जयसिंह एवं डा. एन.वी. सालगरकर के खिलाफ प्राप्त शिकायत पर विचार हेतु जांच समिति की बैठक
46. दिनांक 11.12.2008 को आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रपत्र को संशोधित करने हेतु बैठक

47. दिनांक 15 एवं 16.12.2008 को विभिन्न कोर्ट केसों पर विचार करने हेतु सदस्यों की बैठक ।
48. दिनांक 17.12.2008 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परिदर्शन किये गये विभिन्न महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की जांच हेतु जांच समिति की बैठक ।
49. दिनांक 18.12.2008 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
50. दिनांक 21.01.2009 को कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक हेतु चयन समिति की बैठक
51. दिनांक 10.02.2009 को जांच समिति की बैठक
52. दिनांक 28.02.2009 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
53. दिनांक 13 एवं 14.03.2009 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
54. दिनांक 28 एवं 29.03.2009 को कार्यकारिणी समिति की स्थगित बैठक

विशेषज्ञों की बैठक

1. दिनांक 29 एवं 30.09.2008 को भैषज्य कल्पना, पंचकर्मा, क्षार सूत्र एवं रस शास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेषज्ञों की बैठक
2. दिनांक 23 एवं 24.10.2008 को त्वक विकार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की बैठक
3. दिनांक 12 एवं 13.11.2008 को स्वस्थवृत्त, योग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की बैठक
4. दिनांक 27 एवं 28.11.2008 को द्रव्यगुण, मानस रोग, नेत्र रोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण को तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की बैठक
5. दिनांक 11 एवं 12.12.2008 को रसायन एवं वाजीकरण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की बैठक
6. दिनांक 14 एवं 22.01.2009 को यूनानी के इल्मुल अदविया, तहफूजी –वा– समाजी तिब तथा कुल्लियत विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण के पुनरीक्षण तथा पुनर्संरचना हेतु विशेषज्ञों की बैठक
7. दिनांक 21 एवं 22.01.2009 को यूनानी के इल्मुल जराहत, मुआलिजात, इल्मुल कबालत–वा–अमराज–ए–निसवान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण के पुनरीक्षण तथा पुनर्संरचना हेतु विशेषज्ञों की बैठक
8. दिनांक 17 से 20.02.2009 तक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स के स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला

आयुर्वेद

अनुशंसाओं के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं :-

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने 28 दिसम्बर को विश्व आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया। 28 दिसम्बर वह दिन है जिस दिन महात्मा गाँधी, श्री मोतीलाल नेहरू, श्री सी.राजगोपालाचार्य, श्री विजयराघवाचार्य, डा.एम.ए.अंसारी, पण्डित गोकर्ण नाथ मिश्रा आदि जैसे महान भारतीय व्यक्तित्वों की उपस्थिति में वर्ष 1920 में 26 से 28 दिसम्बर तक नागपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसके द्वारा एक संकल्प लिया गया था ।

आयुर्वेद के छात्रों तथा चिकित्साभ्यासियों का यह विचार रहा है कि यदि कम समय की अवधि की कुछ नैदानिक विशेषज्ञता/विशिष्टीकरण उपलब्ध करायी जायें तो यह उन्हें अधिक आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेद में चिकित्साभ्यास करने में तथा आम लोगों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेगी, जिससे कि सामान्य जनता में आयुर्वेद का तेजी से प्रचार होगा। चिकित्साभ्यासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद के विभिन्न विशेष विषयों में 02 वर्ष की कालावधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किए ।

नए महाविद्यालयों को अनुमति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अन्तर्गत नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 के प्रावधानानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग से आयुर्वेद के लिए 37 प्रस्ताव प्राप्त हुए। केन्द्रीय परिषद् ने संस्थाओं का निरीक्षण किया तथा योजना के अनुमोदन तथा निरनुमोदन के लिए आयुष विभाग को संस्तुतियाँ भेजी गईं।

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने धारा 13 ग के अधीन अपेक्षित वर्ष 2008-09 के लिए अनुमति दी/अनुमति नहीं दी का पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए सभी आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा धारा 13 क के अन्तर्गत स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त 37 महाविद्यालयों का भी परिदर्शन किया गया तथा भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गई ।

आन्ध्र प्रदेश			
क्र. सं.	कालेज का नाम	परिदर्शन की तिथि	भारत सरकार का निर्णय अनुमोदन/निरनुमोदन
1.	डा.बी.आर.के.आर आयुर्वेद महाविद्यालय एस.आर.नगर, हैदराबाद 500038	09.02.2009	अनुमोदित
2.	डा. एनआर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, महाविद्यालय, वी.के सुपर बाजार के पीछे, बन्दर रोड, विजयवाड़ा-520002 (अ.प्र.)	11.02.2009	अनुमोदित अन्तिम रूप से स्नातकपूर्व (30 सीटें) निरनुमोदित -स्नातकोत्तर
3.	एस.वी. आयुर्वेद महाविद्यालय टी.टी. देवस्थानम, तिरुपति-517501 (अ.प्र.)	12.02.2009	अनुमोदित
4.	अनन्था लक्ष्मी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, स्टेशन रोड, वारंगल-506013 (अ.प्र.)	10.02.2009	अनुमोदित
असम			
5.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जलूकबारी, गोवाहटी-781004 (असम)	21.02.2009	अनुमोदित
बिहार			
6.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट ग्रेज्युएट ट्रेनिंग एवं अनुसन्धान केन्द्र, कदम कुआँ, पटना - 800003	24.02.2009	अनुमोदित - स्नातकपूर्व निरनुमोदित-स्नातकोत्तर
7.	रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय, जिला-चम्पारन, मोतीहारी-845401 (बिहार)	25.02.2009	निरनुमोदित
8.	राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगुसराय 850101	24.02.2009	निरनुमोदित
9.	स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद महाविद्यालय, करजरा स्टेशन, पो.आ. मंझोलीगया-823001 (बिहार)	20.02.2009	निरनुमोदित
10.	श्री मोतीसिंह जागेश्वरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, बारतेलपा, छपरा-841301 जिला सारण (बिहार)	01.04.2009	निरनुमोदित

11.	नीतिश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, बावन बीघा, कनहौली, पो.आ. रमना मुजफ्फरपुर-842002	27.02.2009	निरनुमोदित
12.	आयुर्वेद महाविद्यालय घुघी चौक, गया-823001 (बिहार)	21.02.2009	निरनुमोदित
13.	दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीवान-841266 (बिहार)	31.03.2009	निरनुमोदित
छत्तीसगढ़			
14.	श्री नारायण प्रसाद अवस्थी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर-492001	16.02.2009	निरनुमोदित
15.	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम चन्द्रखुरी, पोस्ट चन्द्रखुरी, गुन्देरदेही रोड, जिला दुर्ग-491221 (छत्तीसगढ़)	19.01.2009	अनुमोदित
चण्डीगढ़			
16.	श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, सैक्टर-46 बी, चण्डीगढ़-160017	04.02.2009	निरनुमोदित
दिल्ली			
17.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय अजमल खों रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	31.01.2009	निरनुमोदित
गोवा			
18.	भारतीय संस्कृत प्रबोधिनी गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्रवाजेम, शिरोदा-403103 (गोवा) जिला-साउथ गोवा	21.02.2009	अनुमोदित
गुजरात			
19.	राजकीय अखण्डानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय विक्टोरिया, गार्डन भद्रा के सामने, अहमदाबाद-380001 (गुजरात)	09.02.2009	अनुमोदित - स्नातकपूर्व निरनुमोदित -स्नातकोत्तर
20.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय कॉलेज रोड, नाडियाड-387001	13.02.2009	अनुमोदित
21.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अजवा रोड, बड़ौदा-390001 (गुजरात)	10.02.2009	अनुमोदित

22.	आर्यकन्या शुधा आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद अस्पताल, करेली बाग, बड़ौदा-390018 (गुजरात)	10.02.2009	निरनुमोदित
23.	राजकीय सेठ जे.पी. आयुर्वेद महाविद्यालय,सरदार बाग के सामने, भद्रा, भावनगर-364001 (गुजरात)	12.02.2009	अनुमोदित-स्नातकपूर्व
24.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयसदर बाग, जूनागढ़ -362001 (गुजरात)	27.01.2009	निरनुमोदित
25.	श्री बाला हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय स्थान एवं पोस्ट-लोद्रा, तमंसाजिला-गांधीनगर (गुजरात)	24.01.2009	अनुमोदित
26.	श्री ओ.एच.नाजर आयुर्वेद महाविद्यालय, आत्मानन्द सरस्वती रोड, सूरत-395003 (गुजरात)	02.02.2009	अनुमोदित
27.	श्री गुलाब कुनवर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय धन्वन्तरि मन्दिर, जामनगर-361008 (गुजरात)	03.03.2009	निरनुमोदित
28.	इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एवं रिसर्च, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर -361001	02.03.2009	अनुमोदित
हरियाणा			
29.	श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय अस्थल बोहर, रोहतक-124001	30.01.2009	अनुमोदित
30.	श्री मारुसिंह मेमोरियल महिला आयुर्वेद डिग्री महाविद्यालय,कन्या गुरुकुल, खानपुर कलों, सोनीपत-124301	31.01.2009	अनुमोदित
31.	गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम ब्राह्मणवास, जिला रोहतक-124001	29.01.2009	अनुमोदित
32.	सेठ मुरारी लाल रासीवसिया आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, आर.के.गुप्ता मार्ग,चरखीदादरी- 127306	25.02.2009	अनुमोदित
33.	श्रीकृष्ण राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय डी. सी.निवास के पास, उमरी रोड, कुरुक्षेत्र-132118	27.01.2009	अनुमोदित
34.	चौधरी देवीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय भगवान परशुराम एजुकेशन ट्रस्ट, अम्बाला रोड, जगाधरी 135003	28.01.2009	अनुमोदित

हिमाचल प्रदेश			
35.	राजीव गाँधी राजकीय सरकारी आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जिला कांगडापपरोला-176115 (हि.प्र.)	04.03.2009	अनुमोदित
जम्मू व कश्मीर			
36.	जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च मुथी, नरधनी रायपुर बन तलाब रोड, जम्मूतवी-181123	03.02.2009	अनुमोदित
झारखण्ड			
37.	सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल दिनेश नगरम, बूटी, रांची-835217 (झारखण्ड)	11.02.2009	अनुमोदित
कर्नाटक			
38.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल विश्वेश्वरिया सर्कल, सयाज राव रोड, मैसूर-570021	22.01.2009	अनुमोदित
39.	ए.एल.एन.राव मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय, जिला- चिकमगलूर, कोप्पा-577126	11.02.2009	अनुमोदित
40.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय धन्वन्तरि रोड, बंगलौर-560009	24.01.2009	अनुमोदित
41.	राजकीय तारानाथ आयुर्वेद महाविद्यालय अनन्तपुर रोड, बेल्लारी-583101	05.02.2009	निरनुमोदित
42.	ए.वी.समिति आयुर्वेद महाविद्यालय मुरानकेन, बीजापुर-586101	02.02.2009	निरनुमोदित
43.	आयुर्वेद महाविद्यालय हेगरी एक्सटेंशनओल्ड हुबली-580024	14.02.2009	अनुमोदित
44.	कर्नाटक लिब्रल एजुकेशन सोसायटी श्री कर्नाटक बी.एम. कनकनवाडी आयुर्वेद महाविद्यालय, शाहपुर, बेलगांव-590003	16.02.2009	अनुमोदित
45.	अश्विनी एजुकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद महाविद्यालय,1851/33,अंजनया लेआउट दावनगेरे-577004 जिला- दावनगेरे	04.02.2009	अनुमोदित
46.	एन.के. जाबाशेट्टी सिद्धरुद्ध मथ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय,मनहल्ली रोड, बीदर- 585103	16.01.2009	अनुमोदित
47.	डा. बी.एन.एम. रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, श्रीमति सुशीलादेवी नगुर कालोनी, कॉलेज रोड, बीजापुर-586101 (कर्नाटक)	16.01.2009	निरनुमोदित

48.	जे.एस.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय श्री शिवाराथेश्वरा नगर, मैसूर -570015	23.01.2009	अनुमोदित
49.	एस.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय इसारीलकमापुर, पी.बी.रोड, हावेरी-581110- जिला हावेरी (कर्नाटक)	21.01.2009	निरनुमोदित
50.	श्री विजय महेन्तेश आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय पो.बाक्स नं.15, इल्कल-587125 जिला बगलकोट (कर्नाटक)	29.01.2009	अनुमोदित
51.	बापूजी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय राजेन्द्र नगर, मै न रोड, शिमोगा-577201 (कर्नाटक)	23.01.2009	निरनुमोदित
52.	टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, संकलापुर, टांडा, बेल्लरी रोड, होसपेट- 583201	19.01.2009	अनुमोदित-स्नातकपूर्व निरनुमोदित -स्नातकोत्तर
53.	टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, पो.आ. निदगी जिला शिमोगा 577222 (कर्नाटक)	24.01.2009	निरनुमोदित
54.	अमृथा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय ओनाके ओब्बाना स्टेडियम के पीछे जिला- चित्रदुर्ग-577501	02.02.2009	निरनुमोदित
55.	बापूजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय चल्लाकेरे-577522 जिला- चित्रदुर्ग	22.01.2009	निरनुमोदित
56.	एस.डी.एम.आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट बाक्स नं.164, तरनीरुहल्ला बी.एम.रोड, हसन-573201 (कर्नाटक)	02.02.2009	अनुमोदित
57.	के.वी.जी. आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुरुंजी बागसुल्लिया-574327 जिला- दक्षिण कन्नड (कर्नाटक)	06.03.2009	अनुमोदित
58.	श्री जे.जी. कोपरेटिव अस्पताल आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय घटप्रभा-591321 जिला-बेलगांव	19.01.2009	निरनुमोदित
59.	श्री कालभैरवेश्वर स्वामी आयुर्वेद महाविद्यालय, नं.10, पाईप लाइन रोड, आर.पी.सी. लेआउट(आडिचुनचनगिरी मट्ट) विजयनगर, बंगलौर-560040	12.02.2009	अनुमोदित

60.	भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं रिसर्च, बंगलौर पैलेस कम्पाउण्ड जया महल रोड, बंगलौर-560006	14.02.2009	निरनुमोदित
61.	अल्वास आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मूदबिदरी, जिला- दक्षिण कन्नड- 574227	31.01.2009	अनुमोदित
62.	एस.एन.वी.वी. समस्थे एस.जी.वी. आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलहोंगल-591102 जिला- बेलगाम (कर्नाटक)	19.01.2009	निरनुमोदित
63.	महागणपति आयुर्वेदिक महाविद्यालय होयसालनगर-580003 हलयाल रोड, जिला धारवाड	21.02.2009	निरनुमोदित
64.	श्री शिवयोगेश्वर रुरल आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, इन्चल-591121	17.01.2009	अनुमोदित
65.	तालुका शिक्षण प्रसारक सहकारामंडल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, सिन्धगी-586128 जिला- बीजापुर	17.01.2009	निरनुमोदित
66.	श्री जगदगुरु गवीसिद्धेश्वर संस्थान, आयुर्वेद महाविद्यालय, गवीमठ, कोप्पल-583231	07.03.2009	अनुमोदित
67.	श्री हिंगुलम्बिका एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, सिद्धरामराव अस्तिकर मार्ग, भवानी नगर, मक्तमपुरा, गुलबर्गा-585101	24.02.2009	निरनुमोदित
68.	कलमथडा पूज्य श्री वीरुपक्ष शिवचार्य आयुर्वेद महाविद्यालय, मानवी, जिला- रायचूर-584123	06.02.2009	अनुमोदित
69.	श्री वासवेश्वर विद्या वर्धक संघ आयुर्वेद महाविद्यालय, बगलकोट जिला बगलकोट-587101 (बीजापुर)	05.02.2009	निरनुमोदित
70.	ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, ता. जमखण्डी, टरडल-587315 जिला बगलकोट (कर्नाटक)	20.01.2009	निरनुमोदित
71.	श्री एस.बी.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, मुन्दर्गी, जिला- गडग-582118 (कर्नाटक)	21.01.2009	निरनुमोदित
72.	श्री डी.जी.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, गडग, जिला- धारवाड (कर्नाटक)	21.01.2009	अनुमोदित

73.	वीरपुलीकेशी विद्यावर्धक समस्थ रूरल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रिसर्च सैन्टर, बादामी-587201 जिला बगलकोट	19.01.2009	निरनुमोदित
74.	कन्नड़ बालग सोसायटी रूरल आयुर्वेद महाविद्यालय, आटोनगर, बेलगाम-590016	17.02.2009	निरनुमोदित
75.	भगवान महावीर जैन आयुर्वेद महाविद्यालय गजेन्द्रगढ़-582114 जिला गडग	30.01.2009	अनुमोदित
76.	कालीदास आयुर्वेदिक महाविद्यालय बानाशंकारी रोड, बादामी-587201 जिला - बगलकोट	20.01.2009	निरनुमोदित
77.	राजीव गाँधी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रौन-582209	03.02.2009	निरनुमोदित
78.	मुनियाल आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान, 34-सी, शिवाली औद्योगिक क्षेत्र, मनिपाल (कर्नाटक)	29.01.2009	अनुमोदित
79.	धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल पो.आ.- सिद्धपुर- 581355 (कर्नाटक) जिला- नार्थ कैनारा	23.01.2009	निरनुमोदित
80.	रामा कृष्णा आयुर्वेद महाविद्यालय नं.2345/2185, रामना कॉलेज रोड, कामाक्षी पलाया मागदी रोड, अर्बन रोड बंगलौर-560079	16.02.2009	निरनुमोदित
81.	श्री डी.एम.आयुर्वेद महाविद्यालय लक्ष्मी नारायण नगर, पो.आ. कुठापद उडुप्पी-574118	27/28.01.2009	अनुमोदित
82.	कर्नाटक आयुर्वेद महाविद्यालय केक्ट. टावर, निकट दैवजना कल्याण मण्टप, होईगे बैल, अशोक नगर, पो.आ. मंगलौर	12.01.2009	निरनुमोदित
83.	सुश्रुत आयुर्वेद महाविद्यालय न.5, स्य. नं. 23, कठरीगुप्पेबी.एस.के. तीसरी स्टेज, बंगलौर-560085	23.01.2009	निरनुमोदित
84.	श्रीमती राजेश्वरी करपुरमथ मेमोरियल आयुर्वेद चिकित्सामहाविद्यालय एवं अस्पताल, सी.एम.सी. अस्पताल, बिल्डिंग बडी कामाह रोड, बीजापुर 586104	30.01.2009	अनुमोदित
85.	श्री सिद्धरामेश्वर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नौबाद, बिदर-585402	20.02.2009	निरनुमोदित

86.	आचार्य देशभूषण आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, बेडकिहल, शामनेवाडी (शान्ती नगर) जिला बेलगॉव 591214	18.02.2009	अनुमोदित
87.	धन्वन्तरि आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, शिव शंकर नगर इन्डस्ट्रीयल इस्टेटएस एम आई- 4, जतराट रोड, निपानी-591237 (बंगलौर)	12.02.2009	अनुमोदित
88.	इस्लामिया एजुकेशन ट्रस्टकारिया आयुर्वेद महाविद्यालय, गुलबर्गा	-	निरनुमोदित
केरल			
89.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वन्तरि नगर, जिला एर्नाकुलम पो.आ. त्रिपुनिथुरा-682301	14.02.2009	अनुमोदित
90.	सान्थीगिरी आयुर्वेद महाविद्यालय ओलास्सेरी, पलक्कड-678551 (केरल)	16.01.2009	निरनुमोदित
91.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज, औल्लूर- थालक्कट्टुस्सेरी, त्रिचुर	15.01.2009	अनुमोदित
92.	वी.पी.एस. वरियर आयुर्वेद महाविद्यालय कोट्टककल, जिला मालप्पुरम इडरीकोडे-676501	04.03.2009	अनुमोदित
93.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, एम.जी. रोड, तिरुवन्थापुरम 695001	12.02.2009	अनुमोदित
94.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कन्नूर परियारम	13.02.2009	निरनुमोदित -स्नातकोत्तर अनुमोदित-स्नातकपूर्व
95.	नानगेलिल आयुर्वेद कॉलेज पलक्कड इरनाकुलम, नानगेलिल	30.03.2009	निरनुमोदित
मध्यप्रदेश			
96.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्वालियर-473001	25.02.2009	निरनुमोदित
97.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर-482001	20.02.2009	निरनुमोदित
98.	राजकीय धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, मंगलनाथ रोड चण्जैन-465001	22.01.2009	निरनुमोदित
99.	पं.शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय 497, काटजू नगर, रतलाम	23.01.2009	अनुमोदित
100.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, बुरहानपुर-450331	30.01.2009	निरनुमोदित
101.	शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, लोकमान्य नगर, केशर बाग रोड, इन्दौर-420009	20.01.2009	निरनुमोदित

102.	आचार्य ज्ञान आयुर्वेद महाविद्यालय 278, जवाहर मार्ग, मालगंज चौराहा, इन्दौर	21.01.2009	अनुमोदित
103.	शुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय 11, प्रैस काम्पलैक्स, ए.बी.रोड, इन्दौर	19.01.2009	अनुमोदित
104.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, नई आउटडोर बिल्डिंग, रीवा-484001	21.02.2009	निरनुमोदित
105.	पं. खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, साईन्स हिल्स, मणि के पीछे भोपाल- 462003	29.01.2009	अनुमोदित
106.	रानी दुल्लैया आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल जैड-24 जोन 1, एम.पी.नगर, भोपाल-462011	28.01.2009	अनुमोदित
107.	ओम् आयुर्वेद महाविद्यालय, जमथी, पो.आ. भारत भारती, बेतूल-460001 (म.प्र.)	31.01.2009	निरनुमोदित
108.	राजीव गाँधी आयुर्वेद महाविद्यालय शाहपुर, भोपाल	12.08.2008	निरनुमोदित
109.	वीणावादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, भोपाल	12.08.2008	निरनुमोदित
महाराष्ट्र			
110.	भारती विद्यापीठ आयुर्वेद महाविद्यालय कटराज धानकवाड़ी, जिला पुणे-411043	07.02.2009	अनुमोदित - स्नातकपूर्व एवं- स्नातकोत्तर।
111.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय 583/2, रास्ता पेट, पुणे-411011	07.01.2009	अनुमोदित
112.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, 2062, सदाशिव पेट, पुणे-411030	19.01.2009	न्यायालय के निर्देशानुसार अनुपालन में महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन अनुमति प्रदान की गई।
113.	आयुर्वेद महाविद्यालय गणेशवाड़ी पंचवटी, नासिक-422003	06.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन-अनुमति प्रदान की गई।
114.	श्री गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय, विश्राम बाग, अहमदनगर-414001	08.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई।

115.	कर्मवीर वेंकटराव तानाजी रणधीर आयुर्वेद महाविद्यालय, बोरादी, तह. शिरपुर, धुले-425428	20.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई।
116.	वसन्त दादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय साउथ शिवाजी नगर, सांगली-416416	18.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन-अनुमति प्रदान की गई।
117.	आयुर्वेद महाविद्यालय श्री शिवाजी नगर, तह.राहूरी, राहूरी फैक्ट्री अहमदनगर-413706	10.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन-अनुमति प्रदान की गई।
118.	महाराष्ट्र अरोग्य मंडल सुमति भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय,मालावाड़ी, हड़पसर-411028 पुणे	27.01.2009	अनुमोदित
119.	आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, अकुरी-411044 पुणे	24.01.2009	अनुमोदित
120.	संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना नासिक रोड, संगमनेर-422605 जिला-अहमदनगर (महाराष्ट्र)	29.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन-अनुमति प्रदान की गई।
121.	वसन्त कुसुम रुरल योग एवं आयुर्वेद संस्थान सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय नेहरू चौक, संगमनेर-422905 जिला-अहमदनगर	30.01.2009	अनुमोदित
122.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद विश्वशांति धाम वाघोली-412207, तह. हवेली, जिला-पुणे	17.01.2009	अनुमोदित
123.	छत्रपति साहू महाराज शिक्षण संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय कंचनवाड़ी, पैठन रोड, औरंगाबाद-431003	05.02.2009	अनुमोदित
124.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय यतुईजापुर रोड, मधुबन, उस्मानाबाद-410501	17.02.2009	निरनुमोदित
125.	सेठ चन्दनमल मुथा आर्यगंल वैद्यक महाविद्यालय, गैंदामल, सतारा-415001	23.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई।
126.	सेठ गोबिन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय, 21/ए/13,बुद्धवारपेट, सम्राट चौक,शोलापुर-413002	22.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई।

127.	यशवन्त आयुर्वेद महाविद्यालय स्थान एवं पो.आ. कोडोली-416114 जिला- कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	22.01.2009	अनुमोदित
128.	हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय पेठ-वडेगाँव, तह. हटकननगले, जिला-कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	23.01.2009	अनुमोदित
129.	गंगा एजूकेशन सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, केयर ऑफ गंगा अस्पताल, नई बिल्डिंग, रंकलावेस, जिला- कोल्हापुर	15.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
130.	श्रीमती के.सी.अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालय, दयासागर एजूकेशनल कैम्पस, देवपुर, धुले-424202 (महाराष्ट्र)	16.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन-अनुमति प्रदान की गई
131.	दादा साहेब सुरुपसिंह नाईक आयुर्वेद महाविद्यालय, श्री सूवालाल बाफना, विद्यानगर, मुम्बई आगरा महामार्ग, ननगाँव, धुले-424004 (महाराष्ट्र)	17.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
132.	किसान ज्ञानोदय मण्डल गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय, महाराजा प्रताप हाउसिंग सोसायटी अन्ना साहेब सोनूसिंह पाटिलनगर स्थान-वालीस गाँव, जिला-जलगाँव	06.03.2009	अनुमोदित
133.	चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय साकेंगाँव, भूसावल-425201 जिला-जलगाँव	05.03.2009	अनुमोदित
134.	आर.ए.पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालय वर्ली, मुम्बई-400018 (महाराष्ट्र)	16.02.2009	अनुमोदित
135.	श्रीमती कमलादेवी गौरीदत्त मित्तल पुर्नवसु आयुर्वेद महाविद्यालय, नेताजी सुभाष मार्ग, चेर्नी रोड, मुम्बई-400002	17.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन-अनुमति प्रदान की गई
136.	आयुर्वेद महाविद्यालय सायन रेलवे स्टेशन के नजदीक,सायन, मुम्बई-400002	18.02.2009	अनुमोदित
137.	येरला मेडिकल ट्रस्ट एवं आयुर्वेद महाविद्यालय सैक्टर नं.4, खारघर स्टेशन, नवी मुम्बई,जिला रायगढ़, मुम्बई-400614	04.02.2009	अनुमोदित
138.	आर.जे.वी.एस. भाईसाहेब सावन्त आयुर्वेद महाविद्यालय सूतिकागृह कैम्पस, खसकिलवाड़ा सावन्तवाड़ी-416510 जिला-सिन्धु दुर्ग (महाराष्ट्र)	07.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई

139.	नालासोपारा आयुर्वेद महाविद्यालय (स्व.श्री सुरेश नरसिंह दुबे) पो.आ. नालासोपाराता.-वसई-401209 जिला- ठाणे (महाराष्ट्र)	09.02.2009	अनुमोदित
140.	भाऊ साहेब मूलक आयुर्वेद महाविद्यालय ग्रेटनाग मार्ग, नन्दनवन, नागपुर-440009 (महाराष्ट्र)	06.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
141.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय राजे रघुजी नगर, उमेर रोड नागपुर-440024	13.02.2009	अनुमोदित -स्नातकपूर्व क्रिया शारीर में 04 सीटें निरनुमोदित-अन्य 8 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये
142.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय धन्वन्तरि मार्ग, हनुमान नगर नागपुर-440009	12.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
143.	श्री राधा कृष्णा तोशनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय स्टेशन मार्ग, अकोला-444001	09.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
144.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय हनुमान व्यायाम नगर अमरावती-444605	24.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन-अनुमति प्रदान की गई
145.	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुंज आश्रम, मोझरी-444601 अमरावती	23.01.2009	अनुमोदित
146.	डी.एम.एम.आयुर्वेद महाविद्यालय आरनी रोड, शिवाजी नगर, येओत्मल-445601	22.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन-अनुमति प्रदान की गई
147.	श्री गजानन महाराज संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, पूसद-445204 जिला-येओत्मल (महाराष्ट्र)	18.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
148.	ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय पातूर-444501 जिला-अकोला (महाराष्ट्र)	19.01.2009	अनुमोदित
149.	स्व. सुनील रामसिंह जी चूनावाले आयुर्वेद महाविद्यालय, दीनदयाल नगर, चिखली-443201 जिला- बुलदाना	20.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
150.	महादेवराव शिवंकर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थानकटंगी कला, गोंडिया	03.02.2009	अनुमोदित

151.	श्री सप्तश्रृंगी आयुर्वेद महाविद्यालय यशवन्त मडाय, रविवार पेठ, जिला- नासिक-422001	27.01.2009	अनुमोदित
152.	कैप्टन केदारी रेडेकर आयुर्वेद महाविद्यालय, पी-2, एमआईडीसी, गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर -416502	21.01.2009	अनुमोदित
153.	पदमश्री डा. विठ्ठलराव विखल पाटिल फाउण्डेशन आयुर्वेद महाविद्यालय, शेवागाँव, जिला अहमदनगर	04.02.2009	अनुमोदित
154.	डा. डी.वाई.पाटिल प्रतिष्ठान आयुर्वेद महाविद्यालय, पिम्परी, पुणे-411018	16.02.2009	अनुमोदित
155.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वजीराबाद नान्देड-431601	19.01.2009	अनुमोदित-स्नातकपूर्व निरनुमोदित-स्नातकोत्तर
156.	जूपिटर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं तरिणी आयुर्वेद अस्पताल, सवारकर नगर, खामला रोड, नागपुर-15	11.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
157.	अन्नासाहेब डांगे आयुर्वेद महाविद्यालय अष्टा, तह. वल्वा, जिला सांगली 416301	20.01.2009	अनुमोदित
158.	मंजारा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, केयर ऑफ जिला परिषद बॉयज स्कूल, गांधी मैदान, भोई गल्ल, लातूर -413531	19.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
159.	धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उदगीर, कला मन्दिर के सामने, नान्देड रोड, उदगीर, जिला-लातूर-413517	20.01.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
160.	अश्विनी रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय साधवी प्रीती सुधाजी महाराज नगर, मांची हिल्स, अश्वी बी.के. तह.संगमनेर, जिला-अहमदनगर-413714	02.02.2009	अनुमोदित
161.	रामाराव पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रूगणालय, पुरणा, तालूक - पुरणा जिला -परभानी (महाराष्ट्र)	01.02.08	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
162.	लोकनेते राजारामबापू पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय बाहे के पास-नाका, बाहे रोड इस्लामपुर, तह- वल्वा, जिला सांगली (महाराष्ट्र)	24.01.2009	अनुमोदित

163.	जे.जे.मगदम आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय शिरोलवाडी रोड, जयसिंहपुर-416101 (जिला कोल्हापुर) उडीसा	10.02.2009	अनुमोदित
164.	गोपबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालय वीआईपी रोड, पुरी-752002 (उडीसा)	09.03.2009	स्नातकपूर्व - अनुमोदित स्नातकोत्तर- निरनुमोदित
165.	इन्दिरा गांधी मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल जगुमारा, पो.आ.-खण्डश्री, भुवनेश्वर-751030	27.01.2009	निरनुमोदित
166.	मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय स्थान एवं पो. ताकतपुर, बारीपाडा जिला-मयूरभंज-757003	29.01.2009	निरनुमोदित
167.	कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, अंकुशपुर, गंजम-761100	28.01.2009	निरनुमोदित
168.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बोलनगीर-767001	07.03.2009	निरनुमोदित
169.	श्री नृसिंहनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, नृसिंहनाथ, पो.आ. पैकमल- जिला-बरगढ़ (उडीसा)	30.01.2009	निरनुमोदित
पंजाब			
170.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटियाला-147001	17.02.2009	निरनुमोदित
171.	देशभगत आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, पोस्ट बाक्स नं.78, मण्डी गोबिन्दगढ़-147301 जिला-फतेहगढ़ साहिब	24.01.2009	अनुमोदित
172.	एस.एस.एम.डी. आयुर्वेदिक महाविद्यालय, एवं अस्पताल, जी.टी.रोड़, मोगा-142001	27.01.2009	अनुमोदित
173.	माई भागो महिला आयुर्वेदिक महाविद्यालय फिरोजपुर रोड, मुक्तसर-152026	29.01.2009	अनुमोदित
174.	गुरुनानक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल बारा खण्डी रोड़, निकट अजीत सिनेमा मुक्तसर-152026	28.01.2009	अनुमोदित

175.	गुरु नानक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, मलेर कोटला रोडगोपालपुर, लुधियाना	22.01.2009	निरनुमोदित
176.	श्री लक्ष्मीनारायण आयुर्वेद महाविद्यालय संत तुलसीदास मार्ग, अमृतसर-147001	13.02.2009	निरनुमोदित
177.	दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, महात्मा हंस राज मार्ग, जालन्धर शहर-144008	06.02.2009	निरनुमोदित
178.	शहीद करतार सिंह सरभा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम एवं डाकखाना. सरभा, जिला-लुधियाना	23.01.2009	अनुमोदित
179.	श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल वी.पी.ओ. खरखन, उना रोड होशियारपुर-146001 (पंजाब)	14.02.2009	अनुमोदित
180.	बाबे के आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल ग्राम एवं पो.आ. दुधरमोगा-142053 (राजस्थान)	03.02.2009	अनुमोदित
181.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002	05.03.2009	अनुमोदित
182.	मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, अम्बा माता रोड, उदयपुर-313001	04.03.2009	निरनुमोदित
183.	श्री भंवरलाल दूंगड आयुर्वेद विश्वभारती गौधी विद्या मंदिर, जिला-चूरु, सरदारशहर-331403	24.02.2009	अनुमोदित
तमिलनाडु			
184.	आयुर्वेद महाविद्यालय, 242,बी, त्रिची रोड, सुलूर, कोयम्बटूर-641108	16.02.2009	निरनुमोदित,
185.	धर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल श्री पेरुम्बुदूर , जिला कांचीपुरम	13.02.2009	निरनुमोदित
186.	श्री सांईराम लियो नगर, तम्बारम वेस्टचेन्नई-600044	11.02.2009	निरनुमोदित
187.	श्री जयेन्द्र सरस्वती आयुर्वेद महाविद्यालय, (निकट पूनामाली) नसजारापेट-602103 एनाथुर, जिला थीरुवल्लूर	12.02.2009	निरनुमोदित

उत्तरांचल			
188.	राजकीय गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार-249404	04.03.2009	निरनुमोदित
189.	राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय हरिद्वार-249401	02.03.2009	निरनुमोदित
190.	उत्तरांचल आयुर्वेद महाविद्यालय आयुर्वेद इस्टेट 17, ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर देहरादून -248009	05.02.2009	अनुमोदित
उत्तरप्रदेश			
191.	राज्य आयुर्वेद महाविद्यालय तुलसीदास मार्ग लखनऊ-226004	21.02.2009	भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन -अनुमति प्रदान की गई
192.	राजकीय ललित हरि आयुर्वेद महाविद्यालय पीलीभीत-252001	19.02.2009	निरनुमोदित
193.	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय झांसी-294001	25.02.2009	निरनुमोदित
194.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जिला बांदा, अर्त्तरा-210201	24.02.2009	निरनुमोदित
195.	एस.आर.एम. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बरेली-243001	20.02.2009	निरनुमोदित
196.	स्वामी कल्याणदेव राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रामपुर, मुजफ्फरनगर	27.02.2009	निरनुमोदित
197.	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया-221503 इलाहाबाद	25.02.2009	निरनुमोदित
198.	श्री एस.जी. माईनोरिटी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, साहेड़ी, गाजीपुर	11.02.2009	अनुमोदित
199.	अलीगढ़ आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल, गुलमार्ग कम्प्लैक्स, अनूपशहर रोड, अलीगढ़-202002	18.02.2009	अनुमोदित
200.	यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय सी.एल. होस्टल, एन.आर.ई.सी. कैम्पस खुर्जा-203131	16.01.2009	अनुमोदित
201.	श्री साई आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल सरसोल, जी.टी.रोड अलीगढ़-202001	17.02.2009	अनुमोदित

202.	फैक्लटी ऑफ आयुर्वेद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221020	24.02.2009	अनुमोदित
203.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जगत गंज, वाराणसी-221001	26.02.2009	निरनुमोदित
पश्चिम बंगाल			
204.	जे.बी. राय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल 170/72, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कोलकाता-700004	20.02.2009	निरनुमोदित
205.	स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान श्यामदास विद्या शास्त्र पीठ 294/3/1, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड कोलकाता-700004	18.02.2009	अनुमोदित
206.	बेल्ली संकरपुर राजीब गाँधी मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल पो.आ. एवं ग्राम फिनगापाड़ा जिला 24, परगनास (एन) 743129 (पश्चिम बंगाल)	19.02.2009	निरनुमोदित

यूनानी

अनुशांसाओं के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं :-

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने 4 अक्टूबर को विश्व यूनानी दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिन स्वतन्त्रोत्तर युग के यूनानी के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह का जन्म दिवस है। प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह सन् 1973 से अब तक (35 वर्ष) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं तथा सन् 1984 में परिषद् के अध्यक्ष भी निर्वाचित किये गये तथा सन् 1995 तक (11 वर्ष) वे अध्यक्ष पद पर रहे। वर्ष 2007 में पुनः उनसे यूनानी पद्धति को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व लेने हेतु अनुरोध किया गया तथा उन्होंने 11 वर्षों तक परिषद् का अध्यक्ष रहने के पश्चात् केवल यूनानी पद्धति के लिये उपाध्यक्ष के पद को ग्रहण करके अनुरोध स्वीकार किया। वे केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के संस्थापक सदस्य भी हैं तथा उन्होंने विभिन्न पदों पर जैसे 22 वर्षों तक वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सभापति के रूप में, 03 वर्ष के लिये कार्यकारिणी बोर्ड के सभापति के रूप में तथा बाद में 09 वर्षों के लिये अनुसन्धान परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए परिषद् की सेवा की। उन्हें सही रूप में वर्तमान अनुसन्धान परिषद् का निर्माता कहा जा सकता है, जो कि प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह के जीवन काल की महान उपलब्धि है।

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी समिति की संस्तुतियों को सहमति दी कि भारतीय चिकित्सा (संशोधित) विनियम, 1995 में दिए गए शिक्षा के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् न्यूनतम मानकों के अंतर्गत प्रदान किए गए प्री-तिब्ब पाठ्यक्रम को जारी रखा जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिमानों को अपनाने तथा यूनानी महाविद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने की यूनानी समिति की संस्तुतियों को सहमति दी।

चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में यूनानी की निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष 2008-2009 के दौरान मान्यता दी/सम्मिलित किया :-

चिकित्सा संस्थान के विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता का नाम	पंजीयन के लिए संक्षिप्त नाम	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.
1. जामिया हमर्दद (मानित विश्वविद्यालय) नई दिल्ली	माहिर-ए-तिब्ब	एम.डी. (यूनानी)	1997 से आगे

नए महाविद्यालयों को अनुमति

नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 के प्रावधानानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग से नये यूनानी महाविद्यालय खोलने के लिए 03 प्रस्ताव प्राप्त हुए। केन्द्रीय परिषद् ने इन प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात् भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजने से पूर्व नए यूनानी महाविद्यालय का परिदर्शन कराया।

प्रकरण पर केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाएं भारत सरकार को भेज दी गयी थी।

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने धारा 13 ग के अधीन अपेक्षित वर्ष 2008-09 के लिए अनुमति दी/अनुमति नहीं दी का पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए निम्नलिखित यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा धारा 13 क के अन्तर्गत स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त 03 महाविद्यालयों का भी परिदर्शन किया गया तथा भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गई।

क्र.सं.	कॉलेज का नाम	परिदर्शन की तिथि	भारत सरकार का निर्णय अनुमोदित/निरनुमोदित
1.	राजकीय तकमील-उत-तिब्ब-महाविद्यालय लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	07.02.2009	निरनुमोदित
2.	मोहसिन ए-मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	01.02.2009	निरनुमोदित

3.	सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय बुरहानपुर (मध्य प्रदेश)	09.02.2009	निरनुमोदित
4.	इब्ने-सिना तिब्बिया महाविद्यालय आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	03.02.2009	अनुमोदित
5.	राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, बंगलौर (कर्नाटक)	10.02.2009	अनुमोदित
6.	एच.एम.एस.यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, टुमकूर (कर्नाटक)	09.02.2009	निरनुमोदित
7.	जुलैखाबाई वली मोह.यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र)	29.01.2009	निरनुमोदित
8.	एच.एस.जैड.एच.यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)	31.01.2009	निरनुमोदित
9.	निजामिया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गया (बिहार)	07.02.2009	निरनुमोदित
10.	राजकीय तिब्बिया महाविद्यालय, पटना (बिहार)	05.02.2009	निरनुमोदित
11.	एम.आई.जे. यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, मुम्बई (महाराष्ट्र)	30.01.2009	निरनुमोदित
12.	राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	13.02.2009	निरनुमोदित
13.	जुल्फिकार हैदर यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, सीवान (बिहार)	16.02.2009	निरनुमोदित
14.	कलकत्ता यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	09.02.2009	निरनुमोदित
15.	सल्फिया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा (बिहार)	18.02.2009	निरनुमोदित
16.	शम्मै गौसिया माईनोरिटी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	14.02.2009	अनुमोदित
17.	राजकीय निजामिया तिब्बिया महाविद्यालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	16.02.2009	अनुमोदित
18.	डा. अब्दुल हक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	17.02.2009	अनुमोदित
19.	लुकमान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, बीजापुर (कर्नाटक)	20.02.2009	निरनुमोदित
20.	देवबन्द यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	13.02.2009	अनुमोदित

21.	जामिया तिब्बिया देवबन्द, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	14.02.2009	अनुमोदित
22.	टीपु सुल्तान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्गा (कर्नाटक)	19.02.2009	निरनुमोदित
23.	अल-फारुक यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश)	11.02.2009	अनुमोदित
24.	हकीम अब्दुल हमीद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, देवास (मध्य प्रदेश)	10.02.2009	निरनुमोदित
25.	इकरा यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जलगाँव (महाराष्ट्र)	03.02.2009	निरनुमोदित
26.	अहमद गरीब यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अक्कल कुआँ, जिला नन्दुरबार (महाराष्ट्र)	04.02.2009	अनुमोदित
27.	मौहम्मदिया तिब्बिया महाविद्यालय, मालेगाँव जिला नाशिक (महाराष्ट्र)	05.02.2009	अनुमोदित- स्नातकपूर्व निरनुमोदित- स्नातकोत्तर
28.	राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई (तमिलनाडु)	16.02.2009	निरनुमोदित
29.	अजमल खान तिब्बिया महाविद्यालय (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) अलीगढ़-202002 (उत्तर प्रदेश)	04.02.2009	अनुमोदित स्नातकपूर्व 45 सीटें निरनुमोदित स्नातकोत्तर
30.	यूनानी चिकित्सा संकाय, जामिया हमदर्द नई दिल्ली-110062	12.02.2009	निरनुमोदित
31.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	13.02.2009	निरनुमोदित
32.	अल्लामा इकबाल यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	16.02.2009	अनुमोदित
33.	एशियन चिकित्सा विज्ञान संस्थान श्री नगर (जम्मू एवं कश्मीर)	16.02.2009	निरनुमोदित
34.	कश्मीर तिब्बिया महाविद्यालय श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)	17.02.2009	निरनुमोदित
35.	अलीगढ़ यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	24.04.2009	निरनुमोदित
36.	राजस्थान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर (राजस्थान)	04.02.2009	निरनुमोदित
37.	राजपूताना यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)	05.02.2009	निरनुमोदित

सिद्ध

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने 14 अप्रैल को विश्व सिद्ध दिवस मनाने का निर्णय लिया, जो कि तमिल कलेन्डर के अनुसार चिथिराई पूर्णिमा के दिन पड़ता है तथा पूरे विश्व के सिद्ध चिकित्साभ्यासी इस दिन को प्रथम सिद्धार, अगस्थियार मुनि के सम्बन्ध में सिद्ध संस्थापक दिवस के रूप में मनाते हैं।

तमिल कलेन्डर के अनुसार, चिथिराई प्रथम, तमिल नववर्ष का दिन है, जो कि पूर्णिमा का दिन (पूर्णाभी दिवस) है। चिथिराई पूर्णिमा दिवस एक विशेष दिन है जो कि प्रत्येक वर्ष सिद्ध चिकित्साभ्यासियों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन को चिथिरा विशू भी कहा जाहा है क्योंकि इस दिन को केरल वासी विशू (मलयालम कलेन्डर का नव वर्ष का दिन) के रूप में मनाते हैं।

नए सिद्ध महाविद्यालय को अनुमति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अन्तर्गत नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 के प्रावधानानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग से नया सिद्ध महाविद्यालय खोलने के लिए 01 प्रस्ताव प्राप्त हुआ। केन्द्रीय परिषद् ने उपर्युक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात् भारत सरकार को पत्र जारी करने/जारी न करने सम्बन्धी संस्तुतियाँ भेजने के लिए नए सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सिद्ध की निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष 2008-2009 के दौरान मान्यता दी/सम्मिलित किया :-

चिकित्सा संस्थान के विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता का नाम	पंजीयन के लिए संक्षिप्त नाम	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.
1. त्रावणकोर सिद्ध वैद्य संगम, मुनचीरई	सिद्ध चिकित्सा में डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट	—	1947 से आगे

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने धारा 13 ग के अधीन अपेक्षित वर्ष 2008-09 के लिए अनुमति दी/अनुमति नहीं दी का पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए निम्नलिखित सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा धारा 13 क के अन्तर्गत स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त 02 महाविद्यालयों का भी परिदर्शन किया गया तथा भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गई।

क्र.सं.	कॉलेज का नाम	परिदर्शन की तिथि	भारत सरकार का निर्णय अनुमोदित/निरनुमोदित
1.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई (तमिलनाडु)	10.02.2009	अनुमोदित
2.	श्री साई राम सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय पूनथाडम, कांचीपुरम (तमिलनाडु)	11.02.2009	अनुमोदित
3.	अखिल थिरुविथमकोर सिद्ध वैद्य संगम सिद्ध मारुथ्वा कलूरी एवं अस्पताल, आनन्दाश्रमम् अरुम्बक्कम, (तमिलनाडु)	18.02.2009	निरनुमोदित
4.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलायमकोट्टे, (तमिलनाडु)	05.02.2009	अनुमोदित
5.	सान्थीगिरि सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय पोथेनकोडु, त्रिवेन्द्रम (केरल)	17.02.2009	अनुमोदित
6.	वेलमैलू सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय नं.48, जी.डब्ल्यू.टी. रोड, जिला कांचीपुरम (तमिलनाडु)	14.03.2009	निरनुमोदित

पंजीयन

वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के 284 चिकित्साभ्यासियों को जिनके नाम भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में शामिल हैं, को नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले भारतीय चिकित्सा पद्धति के 33 चिकित्साभ्यासियों को सीधा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

प्रशासन एवं वित्त

परिषद् के कार्यालय के लिए पदों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

क.सं	पद का नाम	वर्ग	पदों की संख्या
1.	निबंधक एवं सचिव	क	01
2.	सहायक निबंधक (आयुर्वेद)	क	01
3.	सहायक निबंधक (यूनानी)	क	01
4.	सहायक सचिव (पंजीयन)	क	01
5.	सहायक सचिव (प्रशासन)	क	01
6.	कार्यालय अधीक्षक	ख	01
7.	लेखाकार	ख	01
8.	हिन्दी अनुवादक	ग	01
9.	कनिष्ठ आशुलिपिक	ग	03
10.	उच्च श्रेणी लिपिक	ग	04
11.	निम्न श्रेणी लिपिक	ग	11
12.	डुप्लीकेटींग आपरेटर	ग	01
13.	दफतरी	घ	02
14.	चपरासी	घ	06
		कुल	35

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है जिसमें 35 कर्मचारी हैं तथापि भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है ।

1. अनुसूचित जाति	6
2. अनुसूचित जन जाति	3
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4. शारीरिक रूप से विकलांग	2

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद तथा यूनानी का कार्य देखने के लिये अनुबन्ध के आधार पर समेकित वेतन पर आयुर्वेद तथा यूनानी के विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया ।

भारत सरकार की स्वीकृति पर केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों के बैठक शुल्क सम्बन्धी निर्णय को लागू किया ।

यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में छठे वेतन आयोग की संस्तुति पर केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों की हकदारी विनिश्चित की जो कि निम्नवत् है :-

(क) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/3/2008-ई.आई.वी. दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के द्वारा शीर्ष श्रेणी के दैनिक भत्ते तथा अन्य खर्चे देय होंगे ।

(ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के उपाध्यक्ष (आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध) तथा सदस्यों को दौरे के दौरान रु.1500/- प्रतिदिन तथा भोजन हेतु रु.200/- तक देय होंगे ।

(ग) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य किसी सरकारी संस्था के उपक्रम के अधीन कार्यरत सदस्यों को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/0/2008/0/2008-ई.आई.वी. दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के द्वारा विहित वेतन रु.6600/- से अधिक का दैनिक भत्ता देय होगा ।

(घ) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की पूर्वानुमति से 500 किलो मीटर से अधिक दूरी की यात्रा के लिये सभी सदस्य हवाई यात्रा करने के हकदार हैं ।

बजट के स्रोत

वर्ष 2008-2009 के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन निम्न प्रकार है :-

	गैर-योजना (रु0 लाखों में)	योजना (रु0 लाखों में)
1. बजट प्राक्कलन 2008-2009 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	238.00	38.50
2. बजट प्राक्कलन 2008-2009 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	55.00	15.00
3. संशोधित प्राक्कलन 2008-2009 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	297.00	31.00
4. संशोधित प्राक्कलन 2008-2009 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	82.00	31.00
5. अनुदान सहायता (मंत्रालय द्वारा विनिर्मुक्त)	82.00	30.58

भविष्य के कार्यक्रम

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना ।
2. कार्यशालाएं आयोजित कर आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध के स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विद्यमान पाठ्यविधि तथा पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा जारी रखना ।
3. भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव ।
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार गोष्ठी आयोजित करना ।
5. इन पद्धतियों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन ।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों को नामांकन प्रमाण-पत्र जारी करना ।
7. भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों का सीधा पंजीयन करना जहाँ राज्य पंजीयन बोर्ड/परिषद् विद्यमान नहीं हैं ।
8. नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 के प्रावधानानुसार आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना ।

9. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग तथा 13 क के अन्तर्गत यथा अपेक्षित भारत सरकार को अनुमति हेतु अनुशंसा भेजना ।
10. आयुर्वेद की विभिन्न विशेषताओं (विषयों) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यविवरणों को तैयार करना ।
11. वैब साईट का अद्यतनीकरण ।

**कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली**

ए.एम.जी. iv/एस.ए.आर./सी.सी.आई.एम./2009-10/726

दिनांक 14.09.09

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति श्री पी.आर. शर्मा, रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है । प्रमाणित वार्षिक लेखा हिन्दी की 1 प्रति इस कार्यालय को भेजी जाएं ।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां, उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए ।

हस्ता/-

निदेशक
(ए.एम.जी-IV)

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष
के लेखों पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की
अलग लेखा रिपोर्ट**

1. हमने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की 31 मार्च, 2009 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र का तथा समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखें/प्राप्तियों और भुगतान लेखों का परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य,शक्तियों, सेवा शर्तों) नियम 86 के अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत 1976 परिषद् विनियम के नियम 86 के अन्तर्गत लेखा परीक्षण किया। वित्तीय विवरण परिषद् प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय-विवरण पर अपने विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए. जी.) की वर्गीकरण, उत्तम लेखा प्रक्रिया सहित अनुपालन, लेखा-मानकों, प्रतिमानकों को प्रकट करना आदि पर लेखों का निरूपण है। कानून, नियमों विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) अनुपालन के और कार्यक्षमता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय कार्य सम्पादन पर लेखा प्रेक्षकों, यदि कोई हो तो, को निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा-रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट करना है।
3. हमने अपना लेखा-परीक्षण सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों में आवश्यक है कि हम अपनी योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त कर लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वस्तुपरक यथार्थ विवरण हो/लेखा परीक्षण में परीक्षण जाँच आधार पर, राशि की पुष्टि का प्रमाण तथा वित्तीय विवरण में प्रकट करना आदि शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा-सिद्धान्तों का मूल्यांकन तथा प्रबन्धकों द्वारा तैयार किया गया वित्तीय विवरण के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा-परीक्षा में अपने विचारों के लिए उचित आधार प्रस्तुत किया है।
4. अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर हमने रिपोर्ट किया है कि:
 - (i) हमें मांगी गई सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, जो कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, प्राप्त हुए।
 - (ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखों/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

- (iii) हमारे विचार में लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा लेखों की पुस्तकों और अन्य सम्बन्धित रिकार्ड का सही तरीके से रख-रखाव किया गया है।
- (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

क.1. देयताएं

1.1 ग्रेच्युटी और छुट्टी के बदले नकद भुगतान का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। परिणामतः देयता तथा व्यय की न्यूनोक्ति हुई। राशि निर्धारित नहीं की जा सकी थी।

क.2. परिसम्पत्तियाँ

क.2.1 सामान्य भविष्यनिधि/पेंशन निधि के निवेशन के लिए निवेशन पैटर्न का पालन नहीं किया गया।

परिषद् ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ-5(53)/2002-ई.सी.बी. एवं पी.आर. दिनांक 24.01.2005 में दिए गए पैटर्न के अनुसार निवेशन नहीं किया है।

ख. लेखा तथा लेखाकरण नीतियों पर टिप्पणियाँ

लेखा तथा लेखाकरण नीतियों पर टिप्पणियों के अनुसार, कार्यालय उपस्करों पर मूल्यहास की दर 25% थी जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने मूल्यहास प्रभार 15% (अनुसूची-8) की दर पर लिया। अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा वास्तव में लिये गये मूल्यहास प्रभार की दर तथा लेखाकरण नीतियों में उल्लिखित मूल्यहास प्रभार की दर के बीच भिन्नता थी, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

ग. सामान्य

1. समेकित तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ और भुगतान लेखों को अनुदान सहायता, अपने स्रोतों से निधि आदि कालम का प्रयोग करके तैयार करना चाहिए वर्तमान में लेखों के तीन सैट तैयार किए गए हैं जो एक दूसरे से अलग हैं तथा जो संगठन की वित्तीय स्थिति का बृहद चित्रण प्रकट नहीं करता।

घ. सहायता अनुदान

परिषद् को वर्ष के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कुल 112.58 लाख रुपये (30.58 लाख रुपये योजना में तथा 82.00 लाख रुपये गैर योजना में) प्राप्त हुए तथा 297.23 लाख रुपये गैर योजना की अपनी प्राप्तियां थी। परिषद् ने रुपये 386.23 लाख (योजना रुपये 32.88 लाख तथा गैर-योजना रुपये 353.35 लाख) का उपयोग किया तथा 26.56 लाख रुपये की राशि शेष रही।

हमारे प्रेक्षण के अनुसार कार्यवाही के पैरा में हमने रिपोर्ट किया है कि इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के समझौते के अनुसार हैं ।

हमारे विचार में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणी के साथ दिया गया है एवं इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित उपर्युक्त महत्वपूर्ण सामग्री तथा अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य सामग्री सत्य एवं स्वच्छ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।

क. तुलन पत्र में दिए गए 31 मार्च, 2009 तक के क्रियाकलाप भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से सम्बन्धित है ।

ख. यह समाप्ति वर्ष की तिथि तक की आय और व्यय लेखा के अधिशेष से सम्बन्धित है ।

अनुलग्नक-1

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के वर्ष 2008-09 लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता :

- आंतरिक लेखा-परीक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पी.ए.ओ. द्वारा किया गया, जिसने वर्ष 2008-09 तक का लेखा-परीक्षा किया ।
- आपत्तियों के निपटान हेतु उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक की अवधि के 18 पैरों पर कार्रवाई शेष है। जिसकी धनराशि का मूल्य ज्ञात नहीं है ।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता

वातावरण नियंत्रण

- भर्ती नियम प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं है ।

मोनिटरिंग

- लेखा-परीक्षा आपत्तियों पर प्रबन्धकों की कोई प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं है। वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक के पैरा 12 पर अनुवर्ती कार्रवाई अभी शेष है ।

3. परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन पद्धति:

- वर्ष 2008-09 की अवधि का स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा कोई कमी नहीं पाई गई ।

4. सामान सूची की भौतिक सत्यापन पद्धति:

- पुस्तकों और प्रकाशनों, पेपर का स्टेशनरी और अन्य उपभोज्य वस्तुओं का वर्ष 2008-09 का भौतिक सत्यापन किया गया ।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

- लेखों के अनुसार 31.03.2009 के अनुसार छह माह तक सांविधिक देय राशि की उत्कृष्ट देयताएं नहीं थी ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली
(गैर-लाभ-संगठन) का वर्ष 2008-09 के लिए वित्तीय विवरण

विषय सूची

शीर्ष	पृष्ठ संख्या
तुलन-पत्र	1
आय एवं व्यय	2
वित्तीय विवरण की अनुसूचियाँ	3 से 25
प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा	26
पेंशन निधि का तुलन पत्र	
तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा	27 से 30
सामान्य भविष्य निधि का तुलन पत्र तथा	
प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा	31 से 34

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
31 मार्च, 2009 को यथा तुलनपत्र

(राशि रु.)

पूँजीगत निधि तथा दायित्व समग्र निधि	अनुसूची	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
सार्वजनिक जमा खाता	1 (सैं.यो) व 9 (यो.)	93,20,626	5,43,538	79,94,877	6,35,934
चालू दायित्व	2	5,24,43,278	-	5,53,76,491	-
अन्य निवेश	3	17,500	-	12,500	-
	4	91,83,517	-	1,04,96,494	-
कुल		7,09,64,921	5,43,538	7,38,80,362	6,35,934
परिसम्पत्तियाँ					
स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची 8)					
चालू परिसम्पत्ति, अग्रिम इत्यादि	5 (सैं.यो) व 10 (यो.)	24,96,006	5,23,578	19,05,674	6,15,974
बकाया शुल्क	6 (सैं.यो)	12,300	19,960	14,700	19,960
निवेश	7 (सैं.यो)	37,13,792	-	36,21,792	-
डाक टिकटें		91,83,517	-	1,04,96,494	-
अन्त शेष		13,499	-	16,097	-
बैंक में नकद (मुख्य खाता)		3,23,903	-	52,802	-
बैंक में नकद (सार्वजनिक जमा खाता)		5,24,43,278	-	5,53,76,491	-
सार्वजनिक जमा खाता पर प्रौढभूत ब्याज		27,78,626	-	23,96,312	-
कुल		7,09,64,921	5,43,538	7,38,80,362	6,35,934
लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियाँ	21				

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
31 मार्च, 2009 तक का आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रु.)

आय पूँजीगत निधि तथा दायित्व अनुदान सहायता शुल्क अन्य प्राप्तियाँ सार्वजनिक जमा खाता पर प्रोद्भूत ब्याज सार्वजनिक जमा खाता से स्थानान्तरित	अनुसूची	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
	11 (रौ.यो) 14 (रौ.यो)	82,00,000 2,05,09,238 3,02,820 27,78,626 62,00,000	30,58,115 — — — —	50,00,000 3,80,58,428 2,60,683 23,96,312 —	18,60,253 — — — —
कुल क		3,79,90,684	30,58,115	4,57,15,423	18,60,253
व्यय					
स्थापना व्यय प्रशासनिक व्यय यात्रा व्यय अवमूल्यन (अनुसूची 8) लौटाये जाने योग्य अव्ययित शेष	15 (रौ.यो) 16 (रौ.यो) - 19 (रौ.यो) 18 (रौ.यो)	95,43,121 1,07,25,621 1,34,93,032 49,13,49 —	— 31,95,630 — 92,396 4,370	67,56,371 90,44,694 59,23,686 3,68,054 —	— 17,58,115 — 1,08,701 1,41,885
कुल ख		3,42,53,123	32,92,396	2,20,92,805	20,08,701
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख) सार्वजनिक जमा खाता में स्थानान्तरित समग्र निधि में स्थानान्तरित अध्यक्ष राहत निधि में स्थानान्तरित	17 (रौ.यो)	37,37,561 — 10,81,681 15,500	(-) 2,34,281 — — —	2,36,22,618 2,14,00,000 14,56,431 —	(-) 1,48,448 — — —
बचत/घाटा के कारण समग्र निधि में ले जाया गया शेष		(+)37,22,061	(-)2,34,281	22,22,618	(-)1,48,448
लेखाओं और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियाँ	21				

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
समग्र निधि - गैर योजना
यथा 31.3.2009 के तुलनपत्र को रूपित आशिक अनुसूची

अनुसूची-1

(राशि रु.)

समग्र निधि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
गत तुलन पत्र के अनुसार	79,94,877	—	70,09,442	—
जोड़ें : व्यय से आय की अधिकता	37,22,061	—	22,22,618	—
	1,17,16,938	—	92,32,060	—
कटौती : समायोजित प्रोद्भूत ब्याज 2007-08	23,96,312	—	—	—
कटौती : अपूँजीगत परिसम्पत्ति पर जुर्माना और पुस्तकालय में पुस्तकें	—	93,20,626	12,37,183	79,94,877
कुल		93,20,626		79,94,877

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-2

सार्वजनिक जमा खाता

यथा 31 मार्च, 2009 के तुलनपत्र को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सार्वजनिक जमा खाता		
गत लेखे के अनुसार	5,53,76,491	3,30,22,768
जोड़े : वर्ष के दौरान	—	2,14,00,000
घटाएँ : वर्ष के दौरान समायोजित	5,53,76,491	5,44,22,768
	62,00,000	—
जोड़े : अर्जित ब्याज	4,91,76,491	5,44,22,768
	32,66,787	9,53,723
कुल	5,24,43,278	5,53,76,491

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-3

चालू दायित्व का ब्यौरा - गैर योजना

31 मार्च, 2009 के तुलनपत्र को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
चालू दायित्व		
प्रतिमूर्ति		
गत लेखे के अनुसार	12,500	10,000
जोड़े : वर्ष के दौरान	5,000	2,500
	17,500	12,500
घटाएँ : वर्ष के दौरान समायोजित	शून्य	शून्य
कुल	17,500	12,500

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
पेंशन निधि एवं सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में निवेश
31 मार्च, 2009 के तुलनपत्र को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष
	10,00,000	12,89,425	
पेंशन निधि			
परिपक्व सावधि जमा के रूप में निवेश	10,00,000		33,00,000
बैंक में नकद	2,55,483		1,62,087
प्रोद्भूत ब्याज 2008-09	27,942	12,89,425	1,86,529
सामान्य भविष्य निधि			
परिपक्व सावधि जमा के रूप में निवेश	71,85,261		61,85,261
बैंक में नकद	6,97,008		6,21,771
प्रोद्भूत ब्याज 2008-2009	17,823	79,00,092	40,846
कुल		91,83,517	1,04,96,494

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
गैर-योजना के अधीन अग्रिमों का ब्यौरा
31 मार्च, 2009 के तुलनपत्र को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष
	14,700	12,300	
पर्व अग्रिम			
गत लेखे के अनुसार	14,700		16,200
जोड़े : वर्ष के दौरान	21,000		24,000
	35,700		40,200
घटाएं : वर्ष के दौरान की गई कटौती	23,400	12,300	25,500
कार अग्रिम			
गत लेखे के अनुसार			13,320
घटाएं : वर्ष के दौरान की गई कटौती			13,320
कुल		12,300	14,700

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-6

गैर-योजना के अधीन बकाया शुल्क का ब्यौरा
31 मार्च, 2009 के तुलनपत्र को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष
	36,21,792	17,94,000	
बकाया शुल्क गत लेखे के अनुसार जोड़े : वर्ष के दौरान	36,21,792	17,94,000	40,62,200
घटाएँ : बकाया के विरुद्ध वसूली	54,15,792	17,02,000	23,40,000
बकाया जुर्माना गत लेखे के अनुसार जोड़े : वर्ष के दौरान	37,13,792	—	64,02,200
घटाएँ : कार्यकारिणी समिति के द्वारा छूट	—	—	27,80,408
	—	—	1,98,000
	—	—	21,029
	—	—	2,19,029
	—	—	2,19,029
कुल		37,13,792	36,21,792

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-7

डाक टिकटों का ब्यौरा-गैर-योजना
31 मार्च, 2009 के तुलनपत्र को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष
	16,097	41,500	
डाक टिकटें गत लेखे के अनुसार जोड़ : वर्ष के दौरान	16,097	41,500	15,823
घटाएँ : वर्ष के दौरान समायोजित	57,597	44,098	50,500
	—	—	66,323
कुल	13,499	13,499	50,226
			16,097
			16,097

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
(2008-09) में अनावर्तक परिसम्पत्तियाँ (गैर योजना)

अनुसूची-8

(राशि रु.)

क्रं सं०	वस्तु का नाम	01.04.2008 से आद्य शेष	जमा	विमोचन	31.03.09 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपस्कर	4,10,786	1,88,318	-	5,99,104	89,866	5,09,238
2	कार्यालय उपकरण	12,71,079	6,63,356	-	19,34,435	2,90,165	16,44,270
3	वातानुकूलित उपकरण	2,02,453	2,30,007	-	4,32,460	1,08,115	3,24,345
4	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	21,356	-	-	21,356	3,203	18,153
	कुल	19,05,674	10,81,681		29,87,355	4,91,349	24,96,006

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
समग्र निधि-योजना
31.3.2009 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

अनुसूची-9

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष
	चालू वर्ष	गत वर्ष	
समग्र निधि			
गत तुलनपत्र के अनुसार	6,35,934		7,44,635
घटाएं : आय पर व्यय की अधिकता	2,34,281		1,48,448
	4,01,653		5,96,187
जोड़े : 2007-08 अव्ययित अनुदान	1,41,885	5,43,538	39,747
			-
कुल		5,43,538	6,35,934
			6,36,934

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-10

चालू परिसम्पत्तियाँ / अग्रिम योजना
31.3.2009 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		19,960	19,960	19,960
दूरभाष				
गत लेखे के अनुसार	19,960	19,960	19,960	19,960
कुल		19,960		19,960

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-11

वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क गैर-योजना
31.3.2009 तक के आय एवं व्यय लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		67,40,000	65,10,000	65,10,000
वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क	67,40,000	65,10,000	65,10,000	65,10,000
नए महाविद्यालय से प्राप्त शुल्क	59,50,000	59,50,000	59,50,000	59,50,000
प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए प्राप्त शुल्क / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त शुल्क	28,00,000	28,00,000	1,16,00,000	1,16,00,000
नामांकन के लिए प्राप्त शुल्क	93,500	93,500	39,000	39,000
पंजीयन के लिए प्राप्त शुल्क	20,000	20,000	23,000	23,000
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	5,738	5,738	15,399	15,399
विलम्ब शुल्क	-	-	21,029	21,029
धारा 13 (ग) के अधीन प्राप्त शुल्क	49,00,000	49,00,000	1,39,00,000	1,39,00,000
कुल	2,05,09,238	2,05,09,238	3,80,58,428	3,80,58,428

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
अनावर्तक परिसम्पत्ति (2008-2009) (योजना)

अनुसूची-8

(राशि रु.)

क्रं सं०	वस्तु का नाम	01.04.2008 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31.03.09 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपकरण	1,49,006	-	-	1,49,006	22,351	1,26,655
2	कार्यालय उपकरण	4,08,452	-	-	4,08,452	61,268	3,47,184
3	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	58,516	-	-	58,516	8,777	49,739
	कुल	6,15,974	-	-	6,15,974	92,396	5,23,578

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
प्राप्त शुल्क (गैर योजना)

अनुसूची-12

(राशि रु.)

31.3.2009 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया के विरुद्ध प्राप्त शुल्क	17,02,000	27,80,408
वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क	49,46,000	41,70,000
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	59,50,000	59,50,000
प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए प्राप्त शुल्क / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	28,00,000	1,16,00,000
नामांकन के लिए प्राप्त शुल्क	93,500	39,000
पंजीयन के लिए प्राप्त शुल्क	20,000	23,000
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	5,738	15,399
विलम्ब शुल्क (मास्यता शुल्क)	शून्य	21,029
विद्यमान महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क (धारा 13 ग)	49,00,000	1,39,00,000
कुल	2,04,17,238	3,84,98,836

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
अग्रिमों की वसूली (गैर योजना)**

अनुसूची-13

31.3.2009 तक के प्राप्तिर्यो एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
पर्व अग्रिम	23,400	25,500
कार अग्रिम	—	13,320
कुल	23,400	38,820

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
अन्य प्राप्तिर्यो (गैर-योजना)**

अनुसूची-14

31.3.2009 तक के प्राप्तिर्यो एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार अग्रिम से प्राप्त ब्याज	27,212	44,520
बचत खाला से प्राप्त ब्याज	1,55,623	1,22,730
कर्मचारियों से की गई वसूली	—	4,137
रद्दी की बिक्री	9,200	5,550
कर्मचारियों से के.स.स्वा.यो. के लिए प्राप्त अंशदान	17,580	15,950
गृह निर्माण अग्रिम से प्राप्त ब्याज	16,220	48,000
कम्प्यूटर अग्रिम से प्राप्त ब्याज	—	5,463
पूर्व सेवा	—	302
फार्म की बिक्री	—	600
यात्रा, भत्ता वसूली	—	200
पुस्तकालय के लिए किताबें	—	1,313
रखरखाव	—	11,918
भारतीय पोस्टल आर्डर से प्राप्त शुल्क	360	—
निवेश से प्राप्त ब्याज	76,625	—
कुल	3,02,820	2,60,683

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
स्थापना व्यय (गैर-योजना)

अनुसूची-15

31.3.2009 तक के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सचिव और कर्मचारी वर्ग का वेतन	35,75,617	29,43,753
चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता	1,05,717	1,29,984
महंगाई भत्ता	12,35,189	12,26,781
मकान किराया भत्ता	11,00,749	9,21,433
वाहन भत्ता	2,50,114	59,800
नगर प्रतिकर भत्ता	57,600	91,300
धुलाई भत्ता	1,920	2,100
बोनस	1,15,466	66,609
अवकाश यात्रा रियायत	21,168	11,661
समयोपरि भत्ता	34,317	27,752
मानदेय	49,750	1,06,167
के.स.स्वा.या. में अंशदान	79,101	1,07,388
शिक्षा शुल्क	960	3,000
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,80,132	5,49,792
सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित ब्याज	80,160	1,15,139
मजदूरी	5,74,274	3,50,070
सुनिश्चित सेवा संबर्द्धन योजना	—	3,000
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ता	—	40,642
वेतन का बकाया	3,95,776	—
समेकित वेतन	3,85,151	—
6वें केन्द्रीय वेतन आयोग का बकाया	11,99,294	—
सदस्य को सहायता	1,00,000	—
एन.पी.एस. टाइयर-1	666	—
कुल	95,43,121	67,56,371

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
प्रशासनिक व्यय (गैर-योजना)

अनुसूची-16

31.3.2009 तक के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेखन सामग्री	11,69,981	6,14,173
दूरभाष	2,16,042	1,00,107
डाक एवं तार	2,57,480	1,09,667
डाक टिकटें	44,098	50,226
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	11,491	9,000
यूनिफार्म	1,595	11,685
लेखा परीक्षा शुल्क	75,095	53,680
मुद्रण	1,16,639	51,121
विधि सम्बन्धी	13,16,539	5,52,087
प्रकाशन	24,52,241	49,85,860
बैंक प्रभार	4,225	11,550
रखरखाव	39,44,448	19,63,145
विविध	2,93,843	2,40,221
भारतीय स्टेट बैंक में जमा टी.डी.एस.	1,31,595	76,910
सूचना प्रौद्योगिकी प्रभार	1,55,114	45,909
कोरियर	88,437	55,926
टैक्सी प्रभार	5,435	31,600
विज्ञापन	4,41,323	81,827
कुल	1,07,25,621	90,44,694

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नियत परिसम्पत्ति (गैर-योजना)

अनुसूची-17

31.3.2009 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
फर्नीचर एवं उपस्कर	1,88,318	2,11,236
कार्यालय उपकरण	6,63,356	10,03,565
वातानुकूलित उपकरण	2,30,007	2,41,630
कुल	10,81,681	14,56,431

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-18

यात्रा प्रभार (गैर-योजना)

31.3.2009 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
अध्यक्ष / उपाध्यक्ष	8,55,835	4,28,015
सचिव / कर्मचारी	1,05,404	87,551
कार्यकारिणी समिति	16,11,837	5,02,173
शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	—	—
शिक्षा समिति (यूनानी)	—	1,08,813
शिक्षा समिति (सिद्ध)	—	28,145
उप-समिति	14,06,480	6,69,686
परिषद के सदस्य	10,10,882	18,92,069
आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन	42,62,832	19,39,466
यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन	11,34,126	2,52,872
सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन	85,685	—
विभागीय पदोन्नति समिति / वयन समिति	1,04,304	6,980
वाहन प्रभार	5,653	7,916
छानबीन समिति	4,96,796	—
राष्ट्रीय कार्यशाला (आयुर्वेद)	24,13,198	—
कुल	1,34,93,032	59,23,686

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-19

प्रशासनिक (व्यय-योजना)

31.3.2009 तक के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
यात्रा व्यय		
बैठक/कार्यशाला (आयुर्वेद)	20,06,443	5,98,312
बैठक/कार्यशाला (यूनानी)	8,16,554	4,52,726
बैठक/कार्यशाला (सिद्ध)	—	1,88,102
विविध व्यय	98,307	84,589
लेखन सामग्री	22,950	23,386
पारिश्रमिक (महन्ताना)	33,000	4,11,000
राष्ट्रीय कार्यशाला (आयुर्वेद)	2,18,376	—
कुल	31,95,630	17,58,115

(राशि रु.)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-20

सार्वजनिक जमा लेखा

31.3.2009 तक के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

क्रं सं.	टी.डी.आर.संख्या	प्राप्ति संख्या	खाता संख्या	परिपक्वता की तिथि	राशि
1	टी.डी.सी.एस./004	433119	30083006309	09.10.2009 को परिपक्व	80,00,000.00
2	टी.डी.सी.एस./004	433120	30083008657	09.10.2009 को परिपक्व	50,00,000.00
3	टी.डी.सी.एस./004	436718	30235936517	07.09.2010 को परिपक्व	97,57,109.00
4	टी.डी.सी.एस./004	438514	30337833607	28.01.2010 को परिपक्व	40,00,000.00
5	टी.डी.सी.एस./004	438517	30353283573	24.03.2011 को परिपक्व	1,00,00,000.00
6	एस.डी/ए. 84	226788	30486567744	09.09.2010 को परिपक्व	70,00,000.00
कुल					4,37,57,109.00

(राशि रु.)

कुल	4,37,57,109.00
बैंक में शेष	86,86,169.00
कुल	5,24,43,278.00

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची-21

1. खाते ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं।
2. केन्द्र सरकार से प्राप्त योजना निधि को पृथक निधि के रूप में दर्शाया गया है तथा पृथक रूप से ही अनुरक्षित किया गया है।
3. आरक्षित निधि भविष्य के खर्चों के लिए प्राप्त शुल्क से बनाई गई है।
4. जोखिम तत्वों से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में लम्बे समय के लिए सावधि जमा में निवेश किया गया है।
5. राजस्व एवं पूंजीगत व्यय गैर-योजना एवं योजना अनुदान तथा शुल्क से प्राप्त राशि से किए गए हैं।
6. **समग्र निधि**
यह व्यय से आय की अधिकता पर संचित शेष को दर्शाता है जो मुख्यतः प्राप्त शुल्क तथा अनुदान से प्राप्त परिसम्पत्ति के निवल मूल्य से है।
7. **आकस्मिक दायित्व**
परिषद् पर आज तक के तुलन-पत्र पर कोई आकस्मिक दायित्व नहीं है।
8. **अवमूल्यन**
नियत परिसम्पत्ति पर परिसम्पत्ति के लिखित मूल्य पर वर्ष 2008-2009 से निम्न दर के अनुसार अवमूल्यन दिया गया है।

<u>मद</u>	<u>अवमूल्यन की दर</u>
फर्नीचर एवं उपस्कर	15%
कार्यालय उपकरण	25%
कम्प्यूटर	60%
वातानुकूलित	25%
पुस्तकालय की पुस्तकें	15%

जारी.....

9. वर्ष में विदेशी मुद्रा का संचालन नहीं है।
10. अंकों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित कर दिया गया है।
11. पैशन निधि तथा सामान्य भविष्य निधि के लेखे अलग से है तथा मुख्य तुलन-पत्र में गैर-योजना के अधीन दर्शाए गए हैं।
12. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् पैशन के दायित्व को पूरा करने के लिए पैशन निधि रखती हैं।
13. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के लेखे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशि रु.)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
आद्य शेष	166	-	1,000	-	स्थापना व्यय अनुसूची 15 (री.यो.)	95,43,121	-	67,56,371	-
हस्तगत रोकड़	52,637	1,41,855	8,56,419	-	प्रशासनिक व्यय अनुसूची 16 (री.यो.) व 19 (री.)	1,07,25,621	31,95,630	90,44,694	17,58,115
बैंक में नकद	16,097	-	15,823	39,747	नियत परिसम्पत्ति अनुसूची 17 (री.यो.)	10,81,681	-	14,56,431	-
डाक टिकटें	82,00,000	30,58,115	50,00,000	18,60,253	यात्रा व्यय अनुसूची 18 (री.यो.)	1,34,93,032	-	59,23,686	-
प्राप्त अनुदान	62,00,000	-	-	-	पर्व अग्रिम	21,000	-	24,000	-
सार्वजनिक जमा खाता	2,04,17,238	-	3,84,98,836	-	सार्वजनिक जमा खाता	-	-	2,14,00,000	-
प्राप्त शुल्क अनुसूची 12 (री.यो.)	23,400	-	38,820	-	राहत निधि	15,500	-	-	-
अग्रिमों की बकूली अनुसूची 13 (री.यो.)	3,02,820	-	2,60,683	-	अन्त शेष	6,407	-	165	-
अन्य प्राप्तियाँ अनुसूची 14 (री.यो.)	5,000	-	2,500	-	हस्तगत रोकड़	3,17,496	4,370	52,637	1,41,885
प्रतिभूति	-	-	-	-	बैंक में नकद	13,499	-	16,097	-
कुल	3,52,17,357	32,00,000	4,46,74,081	19,00,000	डाक टिकटें	-	-	-	-
					कुल	3,52,17,357	32,00,000	4,46,74,081	19,00,000

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
पैंशन एवं उपदान निधि का 31 मार्च, 2009 को यथा तुलन पत्र

(राशि रु.)

दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
पूजीगत निधि	22	12,83,425	36,48,616
कुल		12,83,425	36,48,616
परिसम्पत्ति			
बैंक में निवेश		10,00,000	33,00,000
अन्त शेष बैंक में नकद		2,55,483	1,62,087
2008-09 का प्रोद्भूत ब्याज		27,942	1,86,529
कुल		12,83,425	36,48,616

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
पेंशन एवं उपदान निधि के सम्बन्ध में पूंजीगत निधि का ब्यौरा

अनुसूची-22

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष
	चालू वर्ष	गत वर्ष	
गत लेखे के अनुसार	36,48,616	58,21,490	
जोड़े			
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	3,54,755	58,988	
बैंक बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	27,942	21,578	
पेंशन एवं अवकाश अंशदान	85,979	24,366	
2008-09 का प्रोद्भूत ब्याज	27,942	1,86,529	61,12,951
घटाएँ			
दी गई पेंशन	9,60,164	6,13,335	
2007-08 का प्रोद्भूत ब्याज समायोजित	1,86,529	1,73,808	
बैंक प्रभार	—	370	
अन्तिम भुगतान	17,15,116	16,60,184	
सावधि जमा योजना स्रोत पर काटा गया कर	—	16,638	(-) 24,64,335
कुल		12,83,425	36,48,616

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
पेंशन एवं उपदान निधि
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशि रु.)

प्राप्तियाँ	भुगतान		गत वर्ष	गत वर्ष
	चालू वर्ष	गत वर्ष		
आद्य शेष				
बैंक में नकद	1,62,087	12,47,682	6,13,335	270
निवेश पर आय	23,00,000	10,83,362	—	6,96,056
सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	3,54,755	58,988	5,97,622	6,03,556
बचत खाता पर ब्याज	27,942	21,578	8,13,664	3,60,572
अन्य आय	85,979	24,366	3,03,830	100
अनुसूची 23				
अन्त शेष			शून्य	1,62,087
बैंक में नकद			2,55,483	
कुल	29,30,763	24,35,976	29,30,763	24,35,976

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
अन्य आय

अनुसूची-23

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
पैशन अंशदान	60,443	13,321
अवकाश अंशदान	25,536	11,045
कुल	85,979	24,366

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
31 मार्च, 2009 को सामान्य भविष्य निधि का यथा तुलनपत्र

(राशि रु.)

दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
सामान्य भविष्य निधि का अंशदान	24	79,00,092	68,47,878
कुल		79,00,092	68,47,878
परिसम्पत्ति			
सावधि जमा के रूप में बैंक में निवेश	25	71,85,261	61,85,261
अन्त शेष बैंक में नकद		6,97,008	6,21,771
2008-09 का प्रोद्भूत ब्याज		17,823	40,846
कुल		79,00,092	68,47,878

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सामान्य भविष्य निधि अंशदान का ब्यौरा

अनुसूची-24

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	
		राशि रु.)	राशि रु.)
गत लेखे के अनुसार जोड़े	68,47,878	60,19,989	80,46,523
अंशदान व अग्रिमों की वसूली	18,67,160	14,74,655	
सावधि जमा पर ब्याज	4,55,836	3,76,559	
बचत खाता पर ब्याज	24,743	19,335	
गैर-योजना से स्थानान्तरित ब्याज	80,160	40,846	
2008-09 का प्रोद्भूत ब्याज	17,823		
घटाएं			
अन्तिम अदायगी तथा निकासी	8,08,662	9,46,440	
कर्मचारियों को अग्रिम	5,44,000	2,20,000	
2007-08 का समायोजित प्रोद्भूत ब्याज	40,846	32,205	11,98,645
कुल		79,00,092	68,47,878

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सामान्य भविष्य निधि
31.03.2009 को यथा निवेश का ब्यौरा

अनुसूची-25

क्रं सं.	टी.डी.आर.संख्या	प्राप्ति संख्या	खाता संख्या	परिपक्वता की तिथि	राशि
					राशि रु.)
1	टी.डी.ए./41	154826	0120102811205	19.10.2011 को परिपक्व	3,00,000.00
2	टी.डी.ए./48	65013	0120102811206	27.10.2011 को परिपक्व	9,00,000.00
3	टी.डी.ए./61	65993	0120102811209	21.01.2012 को परिपक्व	3,00,000.00
4	टी.डी.ए./61	66301	0120102811210	09.04.2012 को परिपक्व	5,00,000.00
5	टी.डी.सी.एस./004	428341	0120102811213	04.11.2010 को परिपक्व	6,00,000.00
6	बैंक आफ इंडिया झण्डेवाला, नई दिल्ली			विशेष जमा योजना	2,85,261.00
7	टी.डी.सी.एस./004	431821	30024806985	01.12.2011 को परिपक्व	10,00,000.00
8	टी.डी.सी.एस./004	432925	30072330157	30.08.2009 को परिपक्व	6,00,000.00
9	टी.डी.सी.एस./004	434762	30153505414	28.03.2011 को परिपक्व	7,00,000.00
10	टी.डी.सी.एस./004	438504	30312702913	18.01.2011 को परिपक्व	10,00,000.00
11	टी.डी.ए./60	643909	30727318651	29.03.2012 को परिपक्व	10,00,000.00
कुल					71,85,261.00

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद



सामान्य भविष्य निधि

31.03.2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान

(राशि रु.)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आद्य शेष					
बैंक में नकद	6,21,771	4,27,523	अग्रिम निकासी व अन्तिम अदायगी	5,44,000	2,20,000
<u>प्राप्त ब्याज</u>			सावधि जमा से निवेश	8,08,662	9,46,440
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	4,55,836	3,76,559		10,00,000	10,00,000
बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	24,743	19,335			
गैर योजना से स्थानान्तरित ब्याज	80,160	1,15,139			
<u>अन्य प्राप्तियाँ</u>			अन्त शेष		
अंशदान व अग्रिमों की वसूली	18,67,160	14,74,655			
सावधि जमा की परिपक्वता	—	3,75,000	बैंक में नकद	6,97,008	6,21,771
कुल	30,49,670	27,88,211	कुल	30,49,670	27,88,211

Central Council of India Medicine



**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI
ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008-2009**

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Gazette Notification Extraordinary Part- II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Government of India vide issuing amendments in the said Gazette Notification has changed the members from time to time. The main objects of the Central Council are as under: -

- i) To prescribe minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition (inclusion/ withdrawal) of medical qualifications in/from Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- iii) To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- iv) To prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.
- v) To consider and furnish the recommendation to Government of India on the proposal received from various institutions from Government of India for establishment of new colleges of Indian Systems of Medicine, to increase intake capacity in Under-graduate, Post-graduate and to start new post-graduate or additional subjects.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been framing and implementing various regulations including the Curricula and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani Tibb at Under-graduate and Post-graduate level.

Central Council has already prescribed following courses at Under-graduate and Post-graduate level. Minimum standards of education and syllabi for different courses for Ayurveda, Siddha and Unani Tibb have also been laid down by the Council.

Ayurved

Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Ayurved Vachaspati MD (Ayurved)	3 years
Ayurved Dhanwantari MS (Ayurved)	3 years

Unani Tibb

Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Mahir-e-Tib MD (Unani)	3 years
Mahir-e-Jarahat MS (Unani)	3 years

Siddha

Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Siddha Maruthuva Perignar MD (Siddha)	3 years

Now all the Colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the Country. These Colleges are following the minimum standards of education and Curricula and Syllabus laid down by Central Council.

In pursuance of amendment of 13C in Indian Medicine Central Council Act, 1970 by Government of India, the Central Council in exercise of the powers conferred by Section 36 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), with the previous sanction of the Central Government, prescribed "Indian Medicine Central Council, (Permission to existing Medical Colleges) Regulation 2006."

As per provisions of these Regulations, Colleges established before 07.11.2003 were directed to apply to the Govt. of India by 7.11.2006 for permission as required under Section 13C of IMCC Act 1970. Application of the colleges were received by the Govt. of India and were forwarded to CCIM to furnish the recommendations to Govt. of India in accordance to Section 13 C.

In compliance of the above, CCIM conducted the visitation of 243 Ayurved, 30 Unani and 8 Siddha Colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for issuing/ not issuing letter of permission for the year 2008-09 as

required under section 13 C and recommendations were sent to Govt. of India as per policy decision.

1. There should be at least 80% of complement of teaching staff in accordance to the intake capacity regarding UG Course.
2. 33% as higher faculty (Professor+Reader).
3. Additional teaching staff for PG should be as per prescribed norms of CCIM.
4. Area of college & Hospital should not be less than 80% of area i.e. 32,000 of 40,000 Sq. ft. covered area of the college & hospital.
5. 100 bedded hospital is pre-requisite. Students-bed-ratio should be observed 1 : 2 further.

The Central Council of Indian Medicine has also framed the following policy for the teachers for the appointment/ promotion in Ayurveda, Unani and Siddha colleges.

1. The Central Government/State Government and Management of private colleges shall appoint or promote teachers only after their educational qualification and experience are cleared by the Central Council of Indian Medicine.
2. The teachers appointed must possess post graduate qualification in the concerned subject. If they are not available, then PG degree approved as allied subject can be appointed.

Note:-

- (a) In case of Unani Tibb, since there are PG only in six subjects and that too in few Institutions with small intake, Graduates can be appointed as teachers till such time that adequate number of PGs are available in all the subjects.
- (b) In case of Siddha System of Medicine, graduate teachers appointed before the Gazette Notification dated 13.10.2006 will be eligible to continue as teachers.
3. The Teacher is eligible for promotion only in the subject/department he/she has teaching experience.
4. Every teacher will be issued with an identity card with a specific individual code within three months of the issue of these guidelines by the Central Council of Indian Medicine.

5. In case of confirmation of regular teachers, they should apart from the above should submit any of the following to prove their residence:-
 - (a) Certified copy of Telephone/Electricity/Water bill in his name
 - (b) Certified copy of Bank Statement/Ration Card/PAN Card/Election ID Card.
 - (c) Rental agreement of the residence in cases the teachers who are residing in rental house/apartment.
6. The appointing authority should take an affidavit from the teacher on a Non-Judicial Stamp Paper of Rupees ten that he is not working in any other department/college of any State or Central Government nor is a regular/full time student of M.D./Ph.D., with an undertaking that any statement is found to be false, the action taken by the Management/University/Central Council of Indian Medicine will be binding on him/her.
7. If a teacher is to be appointed directly to the post of Reader/Professor, the Management of the college should verify the qualification and the experience certificates and the relieving order from the previous employer. The copies of the appointment order along with the qualification/experience certificate and relieving order of the previous employer along with the passport size photo and curriculum vita of the teacher should be sent to the office of the CCIM within 30 days of appointment.
8. The management of the college should keep the CCIM informed with reason about the teacher who goes on more than three months leave.
9. If on perusal of the records it is proved that a given teacher is working in another college/department of State or Central Government or is drawing salary without teaching just to lend his name for the other college, the CCIM will penalize him with the following actions:-
 - (a) The first time offence, the teacher alongwith the Institution will be black listed resulting in his disqualification of being considered for appointment in any other college. In case of teacher working in any Government Department/College, the CCIM will address the authorities to take necessary penal action against the said teacher.
 - (b) The second time offence, the CCIM will recommend to the State Board/Council to cancel his/her medical Registration, or appropriate action shall be taken against the teacher.

10. All colleges should pay the UGC scale to the teaching staff. The payment of salary should be only through Bank. Half yearly Bank Statement of the teaching and other staff should be sent to the office of the CCIM.
11. Appointment on contract/deputation or honorary basis against the regular teaching post shall not be accepted as a teacher by the CCIM.
12. The teachers shall not continue as faculty member after the age of 65.
13. The constitution of selection committee should have at least one representative from the affiliating University.
14. The teacher appointed by the college should possess the Registration Certificate issued by any State Board/Council or the Central Council of Indian Medicine.
15. The Graduate Teachers appointed before 01.07.1989 shall be recognized as teachers. If the teacher wants to change the Institution a NOC from the CCIM is mandatory.
Note: Teachers of Government Colleges/University are exempted.
16. The Graduate Teacher appointed after 01.07.1989 shall not be recognised as a teacher.
Note: In case of Unani Tibb and Siddha the note in the policy at Sl.No.2 will apply.
17. Teachers with Post Graduate qualification only are eligible for teaching Post Graduate Courses.
18. The HOD/Principal will be liable for disciplinary action if they issue certificate of completion of Internship to students without the student undergoing the training in the institution.
19. The college authorities are instructed to take disciplinary action against the teacher who is irregular and are not completing the entrusted work/duty/teaching assignment etc.
20. The Principal will be a faculty member in addition to the administrative work.
21. The post of the Principal should not be kept vacant, and any temporary arrangement should not exceed three months.
22. The teacher appointed in a particular college should work in that college at least till the end of academic year.

Note: This will not apply in case if he/she get a job in

Government/Grant in Aid Institutions/University while working in a private college.

23. Every college should have the following staff pattern:
 - (a) Professor
 - (b) Reader
 - (c) Lecturer
24. The Guide/Supervisor should see that the thesis written by a PG student is not a repetition or reproduction of the work already done by PG students in the various PG Colleges. Any violation, the Guide/Supervisor will be responsible and he/she will be liable for penal action.

The Said policy was circulated to Health Secretary of all State Governments, Directors, Universities and Colleges for implementation.

On the sad demise of Dr. Sivanandam while he was on duty, for the visitation of the colleges, President CCIM was kind enough to sanction Rs. One lac to the bereaved family and created the President Relief Fund to continue such practise in future for the members and employees of the CCIM.

In view of the above, Central Council agreed to the same and decided to augment the fund from the 25% of the sitting allowance paid to the members.

Face lift has been given to the office by creating members room/ visitors room as well as committee room.

A sitting fee of Rs. 1000/- has been started paid to members during the meeting with the Sanction of the Govt. of India which never existed in the past.

A "CCIM National Workshop-2009" was conducted at Bangalore from 17/02/2009 to 20/02/2009, during which more than 300 experts participated to review the UG & PG Syllabus.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation and maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of the Central Council. As per provisions of the IMCC Act, 1970, Central Council is maintaining a Central Register in the prescribed manner, which contains the names of persons who are enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognized medical qualifications included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The maintenance of Central Register of Indian Medicine and updating of the same is a continuous process.

During the year 2008-09, Central Register of the following States for the period mentioned against their names were notified in the Gazette of India Part III, Section IV are as under:-

S.No.	Name of State	Period
(i)	Andhra Pradesh	1st April, 2004. to 31st March, 2006
(ii)	Bihar	1st April, 2005 to 31st March, 2007
(iii)	Chhatisgarh	1st April 2006 to 31st March, 2008
(iv)	Goa	April, 2004 to 30 th September, 2006
(v)	Gujarat	1st April, 2005 to 30 th Sepember, 2006
(vi)	Haryana	1st April, 2005 to 31st.March, 2007
(vii)	Jammu & Kashmir	Inception to 30 September, 2005
(viii)	Uttar Pradesh	1st April, 2000 to 31st March, 2006
(ix)	West Bengal	1st April, 2004 to 31st January, 2007
(x)	Orissa	1st January, 2005 to 7th March, 2007

The Central Register of the following states for the period mentioned against their names have been prepared and sent to Govt. of India Press for Gazette Notification in the Gazette of India Part III, Section IV are as under'-

S.No.	Name of State	Period
(i)	Haryana	1st April, 2007 to 31st December, 2007
(ii)	Kerala	1st March, 2005 to 31st March, 2007
(iii)	Madhya Pradesh	1st April, 2004 to 31st March, 2007
(iv)	Tamilnadu (Siddha)	1st January, 1998 to 31st December, 2006
(v)	Tamilnadu (Ayurved)	1st April 2003 to 31st December, 2006

ADMINISTRATIVE REPORT COMPOSITION OF THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

The following are the members of the present Central Council as on 31st March 2009: -

AYURVEDA

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Vaidya Raghunandan Sharma | 22. Dr. KC Sharma |
| 2. Dr. Jayaprakash Narayan | 23. Dr. Bimla Chaudhary |
| 3. Dr. PK Jain | 24. Dr. Roop Lal Sharma |
| 4. Dr. Ved Prakash Tyagi | 25. Dr. KC Ballal |
| 5. Dr. Niranjana Singh Tyagi | 26. Dr. K Anilkumar |
| 6. Dr. Sivanandam (up to 18.01.09) | 27. Dr. RS Parihar |
| 7. Dr. S.K. Sharma | 28. Dr. Rajesh Shukla |
| 8. Prof. Banwari Lal Gaur | 29. Dr. Satish Dutt Garg |
| 9. Prof. MC Sharma | 30. Dr. Gyan Kumar Ahuja |
| 10. Prof. Rambabu Ramadhar Dwivedi | 31. Dr. Shah Kisan Vithaldas |
| 11. Dr. SS Savarikar | 32. Dr. Ramesh Krishan Deshmukh |
| 12. Prof. Kulwant Singh, | 33. Vaidya Jagjeet Singh |
| 13. Dr. D. Ramanthan Iyer | 34. Dr. Mukesh Walia |
| 14. Dr. Gajendra Bharali | 35. Dr. Mehander Kumar Sharma |
| 15. Dr. DN Singh | 36. Dr. P. Narayanan |
| 16. Dr. M Vaman Reddy | 37. Dr. Hariram Bhadoria |
| 17. Dr. Alakh Narayan Singh | 38. Dr. Kamlesh Kumar Verma |
| 18. Dr. IM Jha | 39. Dr. Anand Vardhan Dwivedi |
| 19. Dr. OP Vashisth | 40. Dr. Suresh Chandra Gupta |
| 20. Dr. Sukhdev Sinh Vansia | 41. Dr. Kamal Kishore Sijoria |
| 21. Dr. Ashok Kumar Sharma | 42. Dr. VV Chhikara |
| | 43. Dr. Amitabh Kumar |

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 44. Dr. PJ Jobi | 54. Dr. (Mrs.) Pooja Bhardwaj |
| 45. Dr. BK Jayasingh | 55. Dr. Yuvraj Kumar Tyagi |
| 46. Dr. C Retnakaran | 56. Dr. Batuk Shanker Joshi |
| 47. Dr. S Bannigol | 57. Dr. V. R. Sheshadri |
| 48. Dr. Anand V.Joshi | 58. Dr. MM Jumle |
| 49. Dr. Gajendra Singh Kulchuri | 59. Dr. P. Ram Manohar |
| 50. Prof. Jayaram Yadav | 60. Dr. KG Chandrappa |
| 51. Prof. VK Joshi | 61. Dr. M. Mohan Alva |
| 52. Dr. S. Madhavan | 62. Dr. MR Vasudevan Namboodri |
| 53. Dr. S.K Bhunia | 63. Dr MA Shajahan |

UNANI

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah | 10. Dr. Bashir Ahmed |
| 2. Prof. (Dr.) Saud Ali Khan | 11. Prof. S. Ziauddin |
| 3. Prof. Abdul Mobin Khan | 12. Hakim Shamim Ahmed Saeedi |
| 4. Dr.Mohd Khalid Siddiqui | 13. Dr. Madan Singh Jakhar |
| 5. Dr. M.A. Jafri | 14. Dr. Rashidullah Khan |
| 6. Dr. Mehmood Ali | 15. Hakim Syed Faizan Ahmad |
| 7. Dr. Mohd. Akhthar Masood Siddiqui | 16. Dr. Khazi Raziuddin Ahmad |
| 8. Dr. Qumruzzama | 17. Dr. (Mrs.) Aliya Aman |
| 9. Dr.Abu Bakar Khan | 18. Hakim Saquib Hussain |
| | 19. Dr. Abdul Hafeez |

SIDDHA

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Dr.V.Stanley Jones | 3. Dr.V.Arunachalam |
| 2. Dr.S.Bhoopathi Raj | 4. Dr.Sellamuthu |

COMMITTEES

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council has the following main three Committees, namely:-

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consist of members elected/nominated under clause (a), (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 respectively.

President is elected by the CCIM as per provision under sub-section 2 of Section 3 of the IMCC Act, 1970.

The following are the office bearers of CCIM:-

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. President | Vaidya Raghunandan Sharma |
| 2. Vice-President (Ayurved) | Dr. Jayaprakash Narayan |
| 3. Vice-President (Unani) | Prof. Hakim Syed Khaleefathullah |
| 4. Vice-President (Siddha) | Dr. V.Stanley Jones |

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with Clause 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules and regulations made there under in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. Members representing all the three systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani Tibb are included in the Committee.

The following are the Office bearers of the Executive Committee: -

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Vaidya Raghunandan Sharma | Chairman |
| 2. Dr. Jayaprakash Narayan | Member (Ex-Officio) |

3.	Prof. Hakim Syed Khaleefathullah	Member (Ex-Officio)
4.	Dr. V Stanley Jones	Member (Ex-Officio)
5.	Dr. Pramod Kumar Jain	Member
6.	Dr. Sivanandam (up to 18 Jan. 09)	Member
7.	Prof. Abdul Mobin Khan	Member
8.	Vaidya Ved Prakash Tyagi	Member
9.	Dr. V. Arunachalam	Member
10.	Dr. N. S. Tyagi	Member
11.	Dr. Mohammed Khalid Siddiqui	Member

MEETINGS OF THE COUNCIL AND ITS COMMITTEES

During the year 2008-09, the following meetings were held

1.	Meeting of the Executive Committee held on	4.4.08
2.	Meeting of the Selection Committee held on	4.4.08
3.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation reports of Ayurved Colleges held on	16.4.08.
4.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation reports of Ayurved Colleges held on	24, .25 and 26.4.2008
5.	Meeting of Sub-Committee(Unani) to finalize the English translation of BUMS Syllabus held on	8 and 9.5.08
6.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation reports of Ayurved colleges held on	20 and 21.5.08
7.	Meeting to prepare the syllabus of Ashtang Hridayam held on	23.5.08
8.	Meeting of Screening Committee to screen the visitation reports of Unani Colleges held on	26 and 27.5.08
9.	Meeting of Screening Committee to screen the visitation reports of Ayurveda colleges and other matters related thereto held on	29.5.08 to 2.6.08
10.	Meeting of Executive Committee held on	3 and 4.6.08
11.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation reports of Ayurveda colleges and other matters related thereto held on	4.6.08

12.	Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Unani colleges and other matters related there to held on	4.6.08
13.	Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Ayurved colleges and other matters related thereto held on	7 to 11.6.08.
14.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation reports of Unani colleges held on	11.6.08.
15.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation reports of Siddha colleges held on	11.6.08
16.	Meeting of Executive Committee held on	12,13 and 14.6.08
17.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation reports of Unani colleges and matter related thereto held on	14.6.08
18.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation reports of Ayu. Colleges and matters related thereto held on	14, 15, 16, 17,18, 19 and 20.6.08.
19.	Meeting of the Screening Committee to screen the visitation of Unani colleges and other matters related thereto held on	18, 19, 20 and 25.6.08.
20.	Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Ayurved colleges and other matters related thereto held on	24 and 25.6.08
21.	Adjourned Meeting of Executive Committee held on	28.6.08.
22.	Meeting of Screening Committee to screen the visitation reports of Unani colleges held on	27.6.08.
23.	Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Ayurveda colleges held on	29 and 30.6.08
24.	Meeting of Screening Committee to screen the visitation reports of Ayurveda colleges held on	2,3-4.7.08
25.	Meeting of Vice-Presidents to interview the candidates for Ayurved Experts and Computer Programmer held on	8.7.08.
26.	Meeting of Sub-Committee to frame the Post-graduate Diploma courses in various specialties held on	9.7.08.

27.	Adjourned Meeting of Executive Committee held on	14.7.08
28.	Meeting of Executive Committee held on	29.7.08
29.	Meeting of Enquiry Committee on complaint of Dr. Krishna Kumar, against member CCIM held on	29.7.08.
30.	Meeting of Executive Committee held on	19.8.08
31.	Meeting of Executive Committee held on	26.8.08
32.	Meeting of Central Council of Indian Medicine held on	27 and 28.8.08.
33.	Meeting of the Education Committee (Unani) held on	27.8.08
34.	Meeting of Unani Committee held on	27.8.08
35.	Meeting of Siddha Committee held on	27.8.08
36.	Meeting of 3 Vice-Presidents to interview the candidates for Unani expert held on	20.9.08
37.	Meeting of Enquiry Committee held on	6.10.08
38.	Meeting of Enquiry Committee held on	23.10.08
39.	Meeting for revision of proforma of visitation of Ayurveda, Unani and Siddha colleges held on	23 and 24.10.08
40.	Meeting of Sub-Committee to review the Curriculum and Syllabus of Pre-tib course of Unani Medicine held on	4.11.08
41.	Meeting of Sub-Committee to prepare the Allied subjects of Post-Graduate course of Unani held on	5.11.08
42.	Meeting of Selection Committee held on	4.11.08.
43.	Meeting for revision of proforma of visitation of Ayurveda, Unani and Siddha colleges and hospital required under Section 13A and 13 C of IMCC Act, 1970 held on	11-13.11.08.
44.	Meeting of Sub-Committee to examine the matter of Air Journey of Dr. Jagjeet Singh	27.11.08
45.	Meeting of Enquiry Committee to consider the matters regarding complaint received against Dr.SD Garg, Dr.BK Jaisingh and Dr. NV Salgarkar held on	27.11.08
46.	Meeting for revision of proforma of visitation of Ayurved, Unani and Siddha colleges held on	11.12.08
47.	Meeting of members to discuss the various court cases held on	15 and 16.12.08
48.	Meeting of Scrutiny Committee to examine the visitation report of various colleges visited in compliance of order of Hon'ble High Court held on	17.12.08.

49.	Meeting of Executive Committee held on	18.12.08
50.	Meeting of Selection Committee for the Junior Hindi Translator held on	21.1.09.
51.	Meeting of the Enquiry Committee held on	10.2.09.
52.	Meeting of Executive Committee held on	28.2.09.
53.	Meeting of Executive Committee held on	13 and 14.3.09
54.	Adjourned meeting of Executive Committee held on	28 and 29.3.09.
55.	Meeting of Sub-Committee for revision of Under-graduate and Post-Graduate Regulations held on	29.3.09

MEETING OF EXPERTS

1.	Meeting of Experts for Post-Graduate Diploma course in Bhaishajya Kalpana, Panchkarma, Kshar Sutra and Rasashastra held on	29 and 30.9.08
2.	Meeting of Experts to frame the syllabus of Post-Graduate Diploma in Twak Vikar held on	23 & 24 .10.08
3.	Meeting of Experts to frame the syllabus of Post-Graduate Diploma in Swasthavritta, Yoga, Prasuti & Striroga ,Kaumarbhritya held on	12 and 13.11.08.
4.	Meeting of the Experts to frame the syllabus of Post-Graduate Diploma course in Dravyaguna Manasroga, Netraroga held on	27 th & 28.11.08
5.	Meeting of Experts to frame the syllabus of Post-Graduate diploma in Rasayan and Vajikaran held on	11 & 12.12.08
6.	Meeting of Experts to review and restructure the syllabus of Post-Graduate course of Unani in the subject of Ilmul Advia, Tahaffuzi – wa-samaji tib and Kulliyat	14 and 22.1.09
7.	Meetings of experts to review and restructure the syllabus of Post-graduate course of Unani in the subject of Ilmul Jarahat , Molijat, Ilmul Qabalat-wa-Amraz-e-Niswan held on	21 and 22.1.09
8.	National Workshop to review the Syllabus of Under Graduate and Post-Graduate Syllabus of P.G. Courses.	17 to 20.02.09

AYURVEDA

The salient features of the recommendations are as under

Central Council of Indian Medicine decided to celebrate the World Ayurveda Day on 28th December 28th December is a Day on which a resolution was adopted by the Indian National Congress at its session held at Nagpur in the Year 1920 from 26th to 28th December in the presence of the great Indian personalities like Mahatma Gandhiji, Shri Motilal Nehru, Shri C. Rajagopalachariar, Shri Vijayaraghavachararir, Dr. M.A. Ansari, Pandit Gokaran Nath Mishra etc.

There has been a feeling amongst the students and practitioners of Ayurved that if some clinical expertise/specialization of short course of period is made available will help them to practice Ayurved more confidently and deliver specialized services to the common people, which will rapidly popularize Ayurved amongst the general public. Considering the need of practitioners the Central Council of Indian Medicine has framed the Diploma course in various specialities of Ayurveda of 02 year duration.

PERMISSION TO NEW COLLEGES

As per the provision of Section 13 A of the IMCC Act, 1970, the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or training and increase of Admission Capacity by Medical Colleges Regulations, 2003, 17 proposals for Ayurved colleges were received from Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of AYUSH. The Central Council inspected the Institutions and made recommendations for approval and disapproval of the scheme to the Department of AYUSH.

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of all Ayurveda Colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for issuing letter of permission/not permission for the year 2008-09 as required under section 13 C.

37 Colleges permitted by Govt. of India for its establishment under section 13 A were also visited during the reporting period & recommendations were sent to Govt. of India

ANDHRA PRADESH			
S. No.	Name of the Colleges	Date of Visit	Decision of Govt. of India Approval /Disapproval
1.	Dr. BRKR Ayurved College SR Nagar HYDERABAD 500038	09.02.09	Approved
2.	Dr. NR Sastry Govt. Ay. College Besides VK Super Bazar, Bandar Road, VIJAYAWADA 520002 (AP)	11.02.09	Approved (Provisionally-UG (30 Seats) Disapproved-PG
3.	SV Ayurved College TT Devasthanams TIRUPATI 517501 (AP)	12.02.09	Approved
4.	Anantha Laxmi Govt. Ayurved College Station Road WARANGAL 506013 (AP)	10.02.09	Approved
ASSAM			
5.	Government Ayurved College Jalukbari GUWAHATI 781004. (Assam)	21.2.09	Approved
BIHAR			
6.	Government Ayurved College Post-graduate Training & Research Institute Kadam Kuan PATNA 800003.	24.02.09	Approved-UG Disapproved-PG
7.	Ravindranath Mukherji Ayurved College Distt. Champaran Motihari 845401 (Bihar)	25.02.09	Disapproved
8.	Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved Mahavidyalaya, BEGUSARAI 8500101	24.02.09	Disapproved
9.	Swami Raghwendracharya Tridandi Ayurved Mahavidyalaya Karjara Station PO Manjholi GAYA 823001 (Bihar)	20.02.09	Disapproved
10.	Shri Motisingh Jageshwari Ay. College & Hospital, Baratelpa CHHAPRA 841301 Distt. Saran (Bihar)	01.04.09	Disapproved
11.	Nitishwar Ay. Medical College & Hospital Bawan Bigha, Kanhauli P.O. Ramana MUZZAFARPUR 842002	27.02.09	Disapproved
12.	Ayurved Mahavidyalaya Ghughi Chowk GAYA 823001 (Bihar)	21.02.09	Disapproved
13.	Dayanand Ayurved College & Hospital SIWAN 841266 (Bihar)	31.3.09	Disapproved
CHHATISGARH			
14.	Shri Narayan Prasad Awathy Government Ayurved College RAIPUR 492001	16.02.09	Disapproved

15.	Rajiv Lochan Ayurved Medical College Village Chandkhuri, Post Chandkhuri Gunderdehi Road Distt. DURG 491221 (Chhatisgarh)	19.01.09	Approved
CHANDIGARH			
16.	Shri Dhanwantry Ayurved College & Hospital Sector 46 B, CHANDIGARH 160017	04.02.09	Disapproved
DELHI			
17..	Ayurved & Unani Tibbia College Ajmal Khan Road, Karol Bagh NEW DELHI 110005.	31.01.09	Disapproved
GOA			
18.	Bharteeya Sanskrit Prabodhini Gomantak Ayurved Mahavidyalaya & Research Centre, Vajem, SHIRODA 403103 (Goa) Distt. South Goa	21.02.09	Approved
GUJRAT			
19.	Govt. Akhandanand Ayurved Mahavi- dyalaya Opp. Victoria Garden Bhadra AHMEDABAD 380001 (Gujrat)	09.02.09	Approved UG Disapproved PG
20.	JS Ayurved Mahavidyalaya, College Road NADIAD 387001	13.02.09	Approved
21.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya Ajwa Road BARODA 390001 (Gujrat)	10.02.09	Approved
22.	Aryakanya Shudha Ayurved Mahavid- yalaya Ayurved Hospital, Kareli Bagh BARODA 390018 (Gujrat)	10.02.09	Disapproved
23.	Govt. Seth JP Ayurved Mahavid- yalaya Opp. Sardar Bagh, Bhadra BHAVANAGAR 364001 (Gujrat)	12.2.09	Approved
24.	Govt. Ayurved College Sadar Bagh, JUNAGARH 362001 (Gujrat)	27.01.09	Disapproved
25.	Shri Balahanuman Ayurved Mahavid- yalaya At & Post Lodra, TAMANSA Distt. GANDHINAGAR (Gujrat)	24.01.09	Approved
26.	Shri OH Nazar Ayurved Mahavid- yalaya Atmanand Saraswati Road SURAT 395003 (Gujrat)	02.02.09	Approved
27.	Shri Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya Dhanwantri Mandir JAMNAGAR 361008 (Gujrat)	03.03.09	Disapproved

28.	Institute of Post-graduate Training & Research, Gujrat Ayurved University JAMNAGAR 361001	02.03.09	Approved
HARYANA			
29.	Shri Baba Mastnath Ayurved College Asthal Bohar ROHTAK 124001	30.01.09	Approved
30.	Shri Maru Singh Memorial Mahila Ayurved Degree College Kanya Gurukul Khanpur Kalan SONEPAT 124301	31.01.09	Approved
31.	Gaur Brahmin Ayurved College & Hospital, Village Branmanawas Distt. ROHTAK 124001	29.01.09	Approved
32.	Seth Murarilal Rasiwasia Ayurved College & Hospital, R.K. Gupta Marg CHARKHI DADRI 127306	25.02.2009	Approved
33.	Shri Krishna Govt. Ayurved College Near DC Residence, Umri Road KURUKSHETRA 132118	27.01.09	Approved
34.	Chaudhary Devilal College of Ayurveda, Bhagwan Parshuram Education Trust Ambala Road, JAGADHRI 135003	28.01.09	Approved
HIMACHAL PRADESH			
35.	Rajiv Gandhi Rajkiya Government Ayurvedic Post-graduate College Distt Kangra, Paprola - 176115 (HP)	04.03.09	Approved
JAMMU & KASHMIR			
36.	Jammu Institute of Ayurved & Research Muthi, Nardhani Raipur Ban Talab Road JAMMU TAWI 181123	03.02.09	Approved
JHARKHAND			
37.	Surya Mukhi Dinesh Ayurved College & Hospital Dinesh Nagram Booty, RANCHI 835217	11.02.09	Approved
KARNATAKA			
38.	Govt. Ayurved College & Hospital Vishweshwariah Circle, Sayaj Rao Road MYSORE 570021	22.01.09	Approved
39.	ALN Rao Memorial Ayurved Mahavidyalaya Distt. Chikmagalore, KOPPA 57712	11.02.09	Approved

40.	Govt. Ayurved College Dhanwantri Road, BANGALORE 560009	24.01.09	Approved
41.	Govt. Taranath Ayurved College Anantapur Road, BALLARY-583101	05.02.09	Disapproved
42.	AV Samiti's Ayurved Mahavidyalaya Muranken, BIJAPUR 586101	02.02.09	Disapproved
43.	Ayurved Mahavidyalaya Heggari Extension OLD HUBLI 580024	14.02.09	Approved
44.	Karnataka Liberal Education Society Shri Karnataka B.M. Kankanwadi Ayurved Mahavidyalaya, Shahapur, BELGAUM- 590003	16.02.09	Approved
45.	Ashwini Educational Association's Ayurved College, 1851/33, Anjaneya Layout DAVANGARE -577004 Distt. Davangare	04.02.09	Approved
46.	NK Jabashetty Siddharudh Math Ayurved Medical College, Manhalli Road BIDAR-585103	16.01.09	Approved
47.	Dr. BNM Rural Ayurved College & Hospital Smt. Sushiladevi Nagur Colony College Road, BIJAPUR 586101 (Karnataka)	16.01.09	Disapproved
48.	JSS Ayurved Medical College Shri Shivaratheshwara Nagar MYSORE-570015	23.01.09	Approved
49.	SS Ayurvedic Medical College Isarilakmapur, PB Road HAVERI-581110 Distt. Haveri (Karnataka)	21.01.09	Disapproved
50.	Shri Vijay Mahenthesh Ayurvedic Medical College , PB No.15, ILKAL-587125 Distt. Bagalkot (Karnataka)	29.01.09	Approved
51.	Bapuji Ayurvedic Medical College Rajendra Nagar, Main Road SHIMOGA-577201 (Karnataka)	23.01.09	Disapproved
52.	TMAE Society's Ayurved Medical College Sankalapur, Tanda, Ballary Road HOSPET-583201	19.01.09	UG Approved PG Disapproved
53.	TMAE Society's Ayurved College NIDIGE P.O. SHIMOGA- 577222, KARNATAKA	24.01.09	Disapproved

54.	Amrutha Ayurved Medical College Behind Onake Obbana Stadium Distt. CHITRADURGA-577501	02.02.09	Disapproved
55.	Bapuji Ayurvedic College CHALLAKERE 577522 Distt Chitradurga	22.01.09	Disapproved
56.	SDM College of Ayurveda Post Box No.164, Tarniruhalla BM Road, HASSAN-573201 (Karnataka)	02.02.09	Approved
57.	KVG Ayurved Medical College & Hospital Kurunji Bag SULLIYA-574327 Distt. Dakshin Kannada (Karnataka)	06.03.09	Approved
58.	Shri JG Cooperative Hospital Ayurved Medical College GHATAPRABHA-591321 Distt. Belgaum	19.01.09	Disapproved
59.	Shri Kalabhairaveshwara Swami Ayurved College, No.10, Pipe Line Road RPC Layout, (Adichunchangiri Matt) Vijayanagar, BANGALORE-560040	12.02.09	Approved
60.	Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research, Bangalore Palace Compound, Jaya Mahal Road BANGALORE-560006	14.02.09	Disapproved
61.	Alva's Ayurvedic College Moodbidri Distt. DAKSHIN KANNADA-574227	31.01.09	Approved
62.	SNVV Samasthe's SGV Ayurved College BAILHONGAL-591102 Distt. Belgaum (Karnataka)	19.01.09	Disapproved
63.	Mahaganpati Ayurvedic College HOYSALNAGAR-580003 Halyal Road, Distt. Dharwad	21.02.09	Disapproved
64.	Shri Shivayogeshwar Rural Ayurvedic Medical College, INCHAL - 591121	17.01.09	Approved
65.	Taluka Shikshana Prasarak Sahakara Mandal Ayurvedic College SINDHAGI-586128 Distt. Bijapur	17.01.09	Disapproved
66.	Shri Jagadguru Gavisiddeshwar Sansthan, GAVIMATH KOPPAL-583231	07.03.09	Approved
67.	Shri Hingulambika Education Society Ayurved College Sidramrao Astikar Marg Bhavani Nagar, Maktampura GULBARGA-585 101	24.02.09	Disapproved

68.	Kalmathada Puja Shri Virupaksha Shivacharya Ayurved College MANVI, Distt. RAICHUR 584123	6.2.09	Approved
69.	Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha Ayurved College, Bagalkot Distt. Bagalkot 587 101 (Bijapur)	05.02.09	Disapproved
70.	Gramin Ayurved Medical College Tq. Jamkhandi, TERDAL -587315 Distt. Bagalkot (Karnataka)	20.01.09	Disapproved
71.	Shri SBS Ayurved College MUNDARGI Distt. GADAG – 582118 (Karnataka)	21.01.09	Disapproved
72.	Shri DGM Ayurved College GADAG, Distt. Dharwad (Karnataka)	21.01.09	Approved
73.	Veerpulkeshi Vidyavardhak Samasth's Rural Ayurved College & Research Centre BADAMI 587201 Distt. Bagalkot	19.01.09	Disapproved
74.	Kannada Balag Society's Rural Ayurved College, Auto Nagar, BELGAUM-590016	17.02.09	Disapproved
75.	Bhagvan Mahavir Jain Ayurved College GAJENDERGARH-582114 Distt. Gadag	30.01.09	Approved
76.	Kalidas Ayurvedic College Banashankari Road BADAMI-587201, Distt. Bagalkot	20.1.09	Disapproved
77.	Rajiv Gandhi Education Society Ayurvedic college RON – 582209,	03.02.09	Disapproved
78.	Muniyal Institute of Ayurved Sciences 34-C, Shivally Industrial Area Manipal (Karnataka)	29.01.09	Approved
79.	Dhanwantari Ayurved College & Hospital P.O. SIDDHAPUR – 581355 (Karnataka) Distt. North Canara	23.01.09	Disapproved
80.	Rama Krishna Ayurved College No.2345/2185, Ramana College Road Kamakshi Palaya Magadi Road BANGALORE – Urban Road-560079.	16.02.09	Disapproved
81.	Shri DM College of Ayurved Laxminarayan Nagar P.O. Kuthapad UDUPI 574118	27/28.1.09	Approved

82.	Karnataka Ayurved College, KECT Tower, Near Daivjna, Kalyan Mantap, Hoige Bail, Ashok Nagar, PO Mangalore	12.01.09	Disapproved
83.	Shushrutha Ayurved College No.5, Sy. No.23, Kathriguppe BSK, III rd Stage BANGALORE – 560085	23.01.09	Disapproved
84.	Smt. Rajeshwari Karpurmath Memorial Ayurved Medical College & Hospital, CMC Hospital, Building Badi Kamah Road, BIJAPUR 586104	30.01.09	Approved
85.	Sri Siddharameshwar Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, Naubad, BIDAR 585402	20.02.09	Disapproved
86.	Acharya Desh Bhushan Ayurved Medical College, BEDKIHAL, Shamanewadi (Shanti Nagar), Distt. BELGAUM 591214	18.02.09	Approved
87.	Dhanwantri Ayurved Medical College Hospital & Research Centre Shiv Shankar Nagar Industrial Estate SM1-4, Jatrat Road NIPANI 591237 (Bangalore)	12.02.09	Approved
88.	Islamia Educaton Turst's Zakaria Ay. College Gulbanga		Disapproved
KERALA			
89.	Government Ayurved College Dhanwantri Nagar Distt. Ernakulam P.O. TRIPUNITURA 682301.	14.2.09	Approved
90.	Santhigiri Ayurved College Olassery PALAKKAD 678551 (Kerala)	16.01.09	Disapproved
91.	Vaidyaratnam Ayurved College OLLUR Thalkkattusseryh TRICHUR	15.01.09	Approved
92.	VPS Varier Ayurved College Kottakkal, Distt. Malappuram EDARIKODE 676501	04.03.09	Approved
93.	Govt. Ayurved College, MG Road THIRUVANANTHAPURAM 695001	12.02.09	Approved
94.	Government Ayurved College KANNUR Pariyaram	13.02.09	Disapproved PG Approved UG
95.	Nangelil Ayurved College, Ernakulam Nangelil	30.03.09	Disapproved

MADHYA PRADESH			
96.	Govt. Ayurved College & Hospital GWALIOR	25.02.09	Disapproved
97.	Government Ayurved College JABALPUR 482001	20.02.09	Disapproved
98.	Govt. Dhanwantri Ayurved College Mangalnath Road UJJAIN 465001	22.01.09	Disapproved
99.	Pt. Shivshakti Lal Sharma Ayurved Mahavidyalaya 497, Katju Nagar RATLAM	23.01.09	Approved
100.	Govt. Ayurved College & Hospital BURHANPUR 450331	30.01.09	Disapproved
101.	Shaskiya Swashasi Ashtanga Ayurved Mahavidyalaya, Lok Manya Nagar, Keshar Bagh Road INDORE 452009	20.01.09	Disapproved
102.	Acharya Gyan Ayurved College 278, Jawahar Marg Malganj Choraha INDORE	21.01.09	Approved
103.	Subh Deep Ayurved College 11, Press Complex AB Road, INDORE	19.01.09	Approved
104.	Govt. Ayurved College & Hospital New Outdoor Building REWA 484001	21.02.09	Disapproved
105.	Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomus) Ayurved College & Institute Science Hills Behind Mani BHOPAL 462003	29.01.09	Approved
106.	Rani Dhullaiya Ayurved College & Hospital Z 24, Zone 1, MP Nagar BHOPAL 462011	28.01.09	Approved
107.	Om Ayurved College, Jamthi, PO Bharat Bharati BETUL 460001 (MP)	31.01.09	Disapproved
108.	Rajiv Gandhi Ayurved Mahavidyalaya, Shahpur, Bhopal	12.08.08	Disapproved
109.	Veenavadini Ayurved College, & Hospital, Bhopal	12.08.08	Disapproved
MAHARASHTRA			
110.	Bharti Vidyapeeth's College of Ayurved Katraj-Dhanakwadi Distt. Pune 411043 100 UG, 11 PG	07.02.09	Approved -UG & PG

111.	Tilak Ayurved Mahavidyalaya 583/2, Rasta Peth PUNE 411011	07.01.09	Approved
112.	Ashtang Ayurved Mahavidyalaya 2062, Sadashiv Peth PUNE 411030	19.01.09	Incompliance as instruction per of Court, College has not been visited. Moreover Proterm permission has been granted by Govt. of India
113.	Ayurved Mahavidyalaya Ganeshwadi Panchavati NASIK 422003	06.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
114.	Shri Gangadhar Shastri Gune Ayurved Mahavidyalaya, Vishrambag AHMEDNAGAR 414001	08.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
115.	Karmvir Vyanketrao Tanaji Randhir Ayurved College, Boradi Tal. Shirpur, DHULE 425428	20.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
116.	Vasant Dada Patil Ayurved College South Shivajinagar SANGLI 416416	18.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
117.	Ayurved Mahavidyalaya Shri Shivaji Nagar, Tal. Rahuri Rahuri Factory AHMEDNAGAR 41370	10.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
118.	Maharashtra Arogya Mandal's Sumati Bhai Shah Ayurved Mahavidyalaya Malawadi, HADAPSAR 411028 PUNE	27.01.09	Approved
119.	College of Ayurveda & Research Centre, AKURDI - 411044 PUNE	24.01.09	Approved
120.	Sangam Sevabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya Poona Nasik Road SANGEMNER - 422605 Distt. Ahmednagar (MS)	29.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
121.	Vasant Kusum Rural Yoga & Ayurved Sansthan Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya Nehru Chowk, SANGAMNER - 422905 Distt. AHMEDNAGAR	30.01.09	Approved

122.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust Ayurved Vishwashanti Dham WAGHOLI 412207 Talq. Haveli Distt. Pune	17.01.09	Approved
123.	Chhatrapati Sahu Maharaj Shikshan Sansthan Ayurved Mahavidyalaya Kanchanwadi, Paithan Road AURANGABAD 431003	05.02.09	Approved
124.	Govt. Ayurved College Tuija Pur Road, Madhuban OSMANABAD 410501	17.02.09	Disapproved
125.	Seth Chandanmal Mutha Aryangla Vaidyak Mahavidyalaya, Gandamal SATARA 415001.	23.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
126.	Seth Govindji Raoji Ayurved Mahavidyalaya 21/A/13, Budwar Peth Samarat Chowk SHOLAPUR 413002	22.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
127.	Yashwant Ayurved Mahavidyalaya, At & P.O KODOLI-416114 Distt. Kolhapur (MS)	22.01.09	Approved
128.	Hanuman Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya Peth, Vadegaon, Tal. Hatkanangale Distt. Kolhapur (MS)	23.01.09	Approved
129.	Ganga Education Society's Ayurved College C/o Ganga Hospital, New Building, RANKALAVES Distt. Kolhapur	15.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
130.	Smt. KC Ajmera Ayurved Mahavidyalaya, Dayasagar Educational Campus, Deopur DHULE - 424 202 (MS)	16.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
131.	Dada Saheb Surupsingh Naik Ayurved Mahavidyalaya, Shri Suwalal Bafna, Vidyanagar Mumbai Agra Mahamarg NANGAON DHULE - 424 004 (MS)	17.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
132.	Kisan Dnyanoday Mandal Gudhe's Ayurved College Maharaja Pratap housing Society Anna Saheb Sonusing Patilnagar At CHALISGAON Distt. Jalgaon	06.03.09	Approved
133.	Chaitanya Ayurved Mahavidyala Sakegaon, BHUSAWAL 425201 Distt. Jalgaon	05.03.09	Approved

134.	RA Podar Ayurved College Worli MUMBAI 400018 (MS)	16.02.09	Approved
135.	Smt. KG Mittal Punarvasu Ayurved Mahavidyalaya, Netaji Subhash Road, Cherni Road MUMBAI 400002	17.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
136.	Ayurved Mahavidyalaya Near Sion Railway Station, SION MUMBAI 400002	18.02.09	Approved
137.	Yerala Medical Trust & Ayurved College Sector No.4, Kharghar Station, Navi Mumbai, Distt. Raigad, MUMBAI - 400 614	04.02.09	Approved
138.	RJVS Bhaisaheb Sawant Ayurved Mahavidyalaya Sutikagriha Campus, Khaskilwada SAWANTWADI - 416 510 Distt. Sindhu Durg (MS)	7.2.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
139.	Nalasopara Ayurved College (Swargiya Shri Suresh Nursingh Dube) PO Nalasopara Tal. VASAI - 401209 Distt. Thane (MS)	9.2.09	Approved
140.	Bhau Saheb Maulak Ayurved Mahavidyalaya, Great Nag Road Nandanwan, NAGPUR 440009 (MS)	06.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
141.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya Raje Raghujai Nagar, Umer Road NAGPUR 440024	13.02.09	Approved UG 4 seats in Kriya Sharir. Disapproved for other 8 PG Courses
142.	Shri Ayurved Mahavidyalaya Dhanwantri Marg, Hanuman Nagar NAGPUR 440009.	12.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
143.	Shri Radha Krishna Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya Station Road AKOLA 444001	09.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
144.	Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya Hanuman Vyayam Nagar AMRAWATI 444605	24.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
145.	Shri Gurudev Ayurved Mahavidyalaya Gurukunj	23.01.09	Approve

	Ashram (Mozari) 444601 AMRAWATI		
146.	DMM Ayurved Mahavidyalaya Aarni Road, Shivaji Nagar YEOTMAL 445601	22.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
147.	Shri Gajanan Maharaj Sansthan Ayurved Mahavidyalaya PUSAD – 445204 Distt. Yeotmal (MS)	18.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
148.	Gramin Ayurved Mahavidyalaya PATUR – 444501 Distt. Akola (MS)	19.01.09	Approved
149.	Lt.Sunil Ramshingji Chunawale Ayurved College, Deen Dayal Nagar CHIKHLI – 443201, Distt. Buldana	20.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
150.	Mahadeorao Shivankar Ayurved College & Research Institute Katangi kala GONDIA	03.02.09	Approved
151.	Shri Saptashrunji Ayurved College Yashwant Mandai Ravivar Peth Distt. NASIK - 422001	27.01.09	Approved
152.	Cap. Kedari Redekar Ayurved College P-2, MIDC Gandhinglaj Distt. KOLHAPUR – 416502	21.01.09	Approved
153.	Padamshri Dr. Vitthal Rao Vikhl Patil Foundation Ayurved College Shevgaon Distt. AHMEDNAGAR	04.02.09	Approved
154.	Dr. DY Patil Pratishthan Ayurved College PIMPRI, Pune 411018	6.02.09	Approved 1
155.	Government Ayurved College Wazirabad NANDED 431601.	19.01.09	Approved-UG Disapproved-PG
156.	Jupiter Ayurved College & Tarini Ayurved Hospital Sawarkar Nagar, Khamla Road NAGPUR – 15	11.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
157.	Annasaheb Dange Ayurved College At Ashta, Tal. Valva, Distt. SANGALI 416301	20.01.09	Approved
158.	Manjara Ayurved College & Hospital C/o Zilla Parishad Boys School Gandhi Maidan, Bhoi Gall LATUR - 413531	19.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
159.	Dhanwantari Ayurved College	20.01.09	Proterm permission

	UDGIR Infront of Kala Mandir, Nanded Road, Udgir Distt Latur– 413517		ion has been granted by Govt. of India
160.	Ashvin Rural Ayurved College Sadhvi Preeti Sudhaji Maharaj Nagar Manchi Hill, Ashvi B.K.Tal. Sangamner, Distt. Adhmednagar-413714	02.02.09	Approved
161.	Ramrao Patil Ayurved Mahavidyalaya & Rugnalaya PURNA, Tq. Purna Distt. Parbhani (MS)	22.01.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
162.	Loknete Rajarambapu Patil Ayurved College Near Bahe – Naka, Bahe Road Islampur, Tal. Walwa, Distt. SANGLI, Maharashtra	24.01.09	Approved
163.	JJ Magadum Ayurved Medical College Shirolwadi Road JAISINGPUR 416101 (Distt.Kolhapur)ORISSA	10.02.09	Approved
164.	Gopabandhu Ayurved Mahavidyalaya VIP Road, PURI 752002 (Orissa)	9.3.09	UG Approved PG Disapproved
165.	Indira Gandhi Memorial Ayurved College & Hospital, JAGUMARA PO Khandasiri BHUBNESHWER 751030	27.01.09	Disapproved
166.	Mayurbhanj Ayurved Mahavidyalaya At & Post Takatpur, BARIPADA Distt MAYURBHANJ 757003	29.01.09	Disapproved
167.	Kaviraj Ananta Tripathy Sharma Ayurved Mahavidyalaya, Ankushpur GANJAM 761100	28.01.09	Disapproved
168.	Govt. Ayurved College BOLANGIR 767001	07.03.09	Disapproved
169.	Sri Nrusinghnath Ayurved College & Research Institute, Nrusinghnath PO PAIKMAL 768039 Distt. Bargarh (Orissa)	30.01.09	Disapproved
PUNJAB			
170.	Government Ayurved Mahavidyalaya PATIALA 147001	17.02.09	Disapproved
171.	Desh Bhagat Ayurvedic College & Hospital Post Box No.78 MANDI GOBINDGARH 147301 Distt. Fatehgarh Sahib	24.1.09	Approved

172.	SSMD Ayurvedic College & Hospital GT Road, MOGA 142001	27.01.09	Approved
173.	Mai Bhago Ayurvedic College for Women Ferozpur Road MUKTSAR-152026	29.01.09	Approved
174.	Guru Nanak Ayurved College & Hospital Bara Khandi Road, Near Ajit Cinema MUKTSAR 152026	28.01.09	Approved
175.	Guru Nanak Ayurved College & Research Institute Maler Kotla Road, Gopalpur LUDHIANA	22.01.09	Disapproved
176.	Shri Laxminaryan Ayurved College Sant Tulsidas Marg AMRITSAR 147001	13.02.09	Disapproved
177.	Dayanand Ayurved College Mahatma Hans Raj Marg JALLANDHAR CITY 144008	06.02.09	Disapproved
178.	Shaheed Kartar Singh Sarabha Ayurved College & Hospital VPO Sarabha Distt. LUDHIANA (Pun	23.01.09	Approved
179.	Smt. Urmila Devi Ayurvedic College & Hospital, VPO KHARKHAN, Una Road, HOSHIARPUR 146001 (Punjab)	14.02.09	Approved
180.	Babe Ke Ayurved College & Hospital Village & PO Dudhar, MOGA 142053	03.02.09	Approved
RAJASTHAN			
181.	National Institute of Ayurved Madhav Vilas Palace Amer Road JAIPUR 302002	05.03.09	Approved
182.	MMM Govt. Ayurved Mahavidyalaya Ambamata Road UDAIPUR 313001 (Road)	04.03.09	Disapproved
183.	Shri Bhanwar Lal Dugar Ayurved Vishwabharti, (Gandhi Vidyamandir) Distt. Chur SARDAR SHEHAR 331403	24.02.09	Approved
TAMILNADU			
184.	Ayurved College 242 B Trichy Road, Sular COIMBATORE 641108	16.2.09	Disapproved
185.	Dharma Ayurved College & Hospital Shri Perumbudur, KANCHIPURAM	13.02.09	Disapproved

186.	Sri Sairam Ayurved Medical College, Leo Nagar, Tambaram West, CHENNAI – 600044	11.2.09	Disapproved
187.	Shri Jayendra Saraswati Ayurved College(Near Poonamalee) NASZARAPET 602103 ENATHUR, THIRUVALLUR Distt.	12.2.09	Disapproved
UTTRANCHAL			
188.	Govt. Gurukul Ayurved College Gurukul Kangari, HARIDWAR 249404	04.03.09	Disapproved
189.	Govt. Rishikul Ayurved College HARIDWAR 249401	02.03.09	Disapproved
190.	Uttaranchal Ayurved College Ayurved Estate 17, Old Mussorie Road, Rajpur DEHRADUN – 248009.	05.02.09	Approved
UTTAR PRADESH			
191.	State Ayurved College Tulsidas Marg LUCKNOW 226004	21.02.09	Proterm permission has been granted by Govt. of India
192.	Rajkiya Lalit Hari Ayurved College PILIBHIT 252001	19.02.09	Disapproved
193.	Bundelkhand Govt. Ayurved College JHANSI 294001	25.02.09	Disapproved
194.	Government Ayurved College Distt. Banda ATTARA 210201	24.02.09	Disapproved
195.	SRM Govt. Ayurved College BAREILLY 243001	20.02.09	Disapproved
196.	Swami Kalyandev Government Ayurved College Rampur, MUZAFFARNAGAR	27.02.09	Disapproved
197.	Lal Bahadur Shastri Govt. Mahavidyalaya HANDIA 221503 (Allahabad)	25.02.09	Disapproved
198.	Shri SG Minority Ayurved College & Hospital, Saheri GAZIPUR	11.02.09	Approved
199.	Aligarh Ayurved & Unani College Hospital, Gulmarg Complex, Anoopshahr Road Aligarh – 202002	18.02.09	Approved
200.	Yagya Dutt Sharma Ayurved College CL Hostel, NREC Campus KHURZA 203131	16.01.09	Approved
201.	Sri Sai Ayurved College & Hospital Sarsol, G.T. Road ALIGARH – 202001	17.02.09	Approved

202.	Faculty of Ayurved Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University VARANASI 221020	24.02.09	Approved
203.	Govt. Ayurved College Jagat Ganj, VARANASI 221001	26.02.09	Disapproved
WEST BENGAL			
204.	JB Roy State Ayurved College & Hospital, 170/72 Raja Dinendra Street CALCUTTA 700004	20.02.09	Disapproved
205.	Institute of PG Ayurved Education & Research at Shyamdas Vidya Shastra Peeth 294/3/1 Asharya Prafulla Chandra Road, CALCUTTA 700004	18.02.09	Approved
206.	Belley Sankerpur Rajiv Gandhi Memorial Ayurved College & Hospital, P.O. & Village, Fingapara Distt. 24, Pargnas (N) 743129	19.02.09	Disapproved

UNANI

The Salient features of the recommendations are as under:

The Central Council of Indian Medicine decided to celebrate the World Unani Day on 4th October which coincides with the birth day of the Unani legendary of the Post Independent era, Prof. Hakim Syed Khaleefathullha who has been a member of the Central Council of Indian Medicine since 1973 till date (35 years) and also was elected as President of the Council in 1984 and continued till 1995 (11 years) and again was requested to take up the responsibility to lead the Unani System and was unanimously elected as Vice-President (Unani) in 2007 and he accepted the request of the Unani Committee by taking the post of Vice-President after having been the President of the Council for 11 years only for the sake of Unani System. He is also the founder member of the Central Council for Research in Unani Medicine and served the Council in various capacities such as Chairman, Scientific Advisory Committee for 22 years, Chairman, Executive Board for 03 years and later Vice-President of the Research Council for 09 years. He can be rightly called the Architect of the present Research Council which is the life time achievement of Prof. Hakim Syed Khaleefathullha.

Central Council agreed to the recommendations of Unani Committee that Pre-tib course will continue as provided under the IMCC (Minimum Standard of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1995.

Central Council agreed to the recommendations of Unani Committee to adopt the UGC norms and retirement age be raised to 65 years in all Unani colleges.

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/ included the following medical qualifications of Unani in the Second Schedule to the Indian Medical Central Council Act, 1970 during the year 2008-09

Name of University/ Board of Medical Institute	Recognized Medical qualification	Abbreviation for Registration	Remarks
1	2	3	4
1. Jamia Hamdard (Deemed University), New Delhi	Mahie- Tib	M.D (Unani)	From 1997 Onwards

PERMISSION TO NEW COLLEGES

As per provisions of the Establishment of new medical college, opening of new or higher course of studies or training and increase of admission capacity by a medical college Regulations, 2003, 03 proposals for starting new Unani colleges were received from Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of AYUSH. The Central Council after screening the proposals for the above purpose carried out inspection for starting new Unani College before sending the recommendations to the Government of India as required under Section 13 A of IMCC Act, 1970.

The Recommendations of the Central Council were sent to Government of India.

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Madecine conducted the visitation of following Unani Colleges to furnish the recommendation to Govt. of India for issuing letter of permission/ not permission for the year 2008-09 as required under section 13 C.

03 Colleges permitted by Govt. of India for its establishment under Section 13 A were also visited during the reporting period and recommendation were sent to Govt. of India

S. No	Name of the Colleges	Date of Visitation	Decision of G.O.I Approved/ Disapproved
1.	State Takmil-Ut-Tib College, LUCKNOW (U.P)	07.02.2009	Disapproved
2.	Mohsin-e-Millat Unani Medical College, RAIPUR (C.G.)	01.02.2009	Disapproved
3.	Saifia Hamidia Unani Tibbiya College, BURHANPUR (MP)	09.02.2009	Disapproved

4.	Ibn-e-Seena Tibbiya College, AZAMGARH (U.P.)	03.02.2009	Approved
5.	Govt. Unani Medical College, BANGALORE (Karnataka)	10.02.2009	Approved
6.	HMS Unani Medical College, TUMKUR (Karnataka)	09.02.2009	Disapproved
7.	ZVM Unani Med. College, PUNE (MS)	29.01.2009	Disapproved
8.	H.S.Z.H. Unani Med. College, BHOPAL (MP)	31.01.2009	Disapproved
9.	Nizamia Unani Med. College, GAYA (Bihar)	07.02.2009	Disapproved
10.	Govt. Tibbi College, PATNA (Bihar)	05.02.2009	Disapproved
11.	M.I.J.Unani Medical College, MUMBAI (MS)	30.01.2009	Disapproved
12.	State Unani Medical College, ALLAHABAD (U.P.)	13.02.2009	Disapproved
13.	Z.H. Unani Medical College, SIWAN (Bihar)	16.02.2009	Disapproved
14.	Calcutta Unani Medical College KOLKATA (W.B.)	09.02.2009	Disapproved
15.	Salfia Unani Medical College & Hospital, DARBHANGA(Bihar)	18.02.2009	Disapproved
16.	S.G.M. Unani Medical College, GHAZIPUR (U.P.)	14.02.2009	Approved
17.	Govt. Nizamia Tibbia College, HYDERABAD (A.P.)	16.02.2009	Approved
18.	Dr. Abdul Haq Unani Medical College, KURNOOL (A.P.)	17/02/2009	Approved
19.	Luqman Unani Medical College, BIJAPUR (Karnataka)	20/02/2009	Disapproved
20.	Deoband Unani Medical College, SAHARANPUR(U.P.)	13/02/2009	Approved
21.	Jamia Tibbia Deoband SAHARANPUR(U.P.)	14/02/2009	Approved
22.	Tipu Sultan Unani Medical College, GULBARGA(Karnataka)	19/02/2009	Disapproved

23.	Al-Farooque Unani Tibbia College, INDORE(M.P.)	11/02/2009	Approved
24	H. A. H. Unani Medical College, DEWAS (M.P.)	10/02/2009	Disapproved
25	Iqra Unani Medical College, JALGAON (MS)	03/02/2009	Disapproved
26	Ahmed Gharib Unani Medical College, AKKALKUWA Distt. Nandurbar (MS)	04/02/2009	Approved
27	Mohammadia Tibbia College, MALEGAON Distt. NASIK (MS)	05/02/2009	Approved UG Disapproved PG
28	Govt. Unani Medical College, CHENNAI (Tamilnadu)	16/02/2009	Disapproved
29	Ajmal Khan Tibbiya College,(Aligarh Muslim University), ALIGARH – 202002 (U.P.)	04/02/2009	UG Approved PG Disapproved
30	Faculty of Unani Medicine, Jamia Hamdard, DELHI- 110062	12/02/2009	Disapproved
31	Ay. & Unani Tibbia College,Karol Bagh, NEW DELHI-110005	13/02/2009	Disapproved
32.	Allama Iqbal Unani Medical College, MUZAFFARNAGAR (U.P.)	16/02/2009	Approved
33.	Institute of Asian Medical Sciences, SRINAGAR (J & K)	16/02/2009	Disapproved
34.	Kashmir Tibbia College, SRINAGAR (J & K)	17/02/2009	Disapproved
35.	Aligarh Unani Medical College, ALIGARH (U.P.)	24/04/2009	Disapproved
36.	Rajasthan Unani Medical College, JAIPUR (RAJ.)	04/02/2009	Disapproved
37	Rajputana Unani Medical College, JAIPUR (RAJ.)	05/02/2009	Disapproved

SIDDHA

Central Council of Indian Medicine decided to celebrate the World Siddha Day on 14th April which coincides the Chithirai Pournami Day according to the Tamil Calander and the Siddha practitioners around the world celebrate this day as "Siddha Founder Day" in regards to the first Siddhar, Agasthiyar Muni.

According to the Tamil Calander, Chithirai 1st is the Tamil New Year Day, which is a full moon day (Pournami Day). The Chithirai Pournami day is a special day celebrated by the Siddha Practitioners every year. This day is also called Chithira Vishu because the same day is celebrated by Keralites as Vishu (The New Year Day of Malayalam Calender).

PERMISSION TO NEW SIDDHA COLLEGE

As per provisions of the Establishment of new medical college, opening of new or higher course of studies or training and increase of admission capacity by a medical college regulations 2003, one proposal for starting new Siddha college was received from Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of AYUSH. The Central Council after screening the proposal for the above purpose carried out inspection for starting new Siddha college before sending the recommendations to the Government of India as required under Section 13 A of IMCC Act, 1970 for issuing /not issuing letter of intent. The recommendations of the Central Council were sent to Government of India.

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/ included the following medical qualifications of Siddha in the Second Schedule to the Indian Medical Central Council Act, 1970 during the year 2008-09:-

Name of University/ Board Institute	Recognized Medical Qualification	Abbreviation for Registration	Remarks
1. Travancore Siddha Vaidya Sangam, Munchirai	Diploma or Certificate In Siddha Medicine	-----	From 1947

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Madecine conducted the visitation of following Siddha Colleges to furnish the recommendation to Govt. of India for issuing letter of permission/ not permission for the year 2008-09 as required under section 13 C.

02 Colleges permitted by Govt. of India for its establishment under Section 13 A were also visited during the reporting period and recommendation were sent to Govt. of India.

S. No.	Name of the colleges	Date of visit	Decision of G.O.IApproved/ Disapproved
1	Govt. Siddha Medical College Chennai, Tamil Nadu.	10.02.2009	Approved
2.	Sri Sairam Siddha Medical College, Poonthadam, Kancheepuram Tamil Nadu	11.02.2009	Approved
3	ATSVS Siddha Maruthuva Kallory & HospitalAnandasramam, Munchirai Tamil Nadu	18.02.2009	Disapproved
4	Govt. Siddha Medical College Playamkottai, Tamil Nadu	05.02.2009	Approved
5	Santhigiri Siddha Medical College Pothenkodu, Trivandrum, Kerala	17.02.2009	Approved
6	Velumailu Siddha Medical College No.48, GWT Road, Distt. Kancheepuram (Tamil Nadu)	14.03.2009	Disapproved

REGISTRATION

During the year 2008-09, 284 Enrolment Certificates were issued to practitioners of ISM on the basis of their names included in the Central Register of Indian Medicine.

33 Direct Registration were given to practitioners of Indian Systems of Medicine, possessing a recognized medical qualification included in the schedule to IMCC Act, 1970.

ADMINISTRATION AND FINANCE

The total numbers of posts for the office of the Council are as under

S.No.	Designation of the Post	Group	No. of Post
1.	Registrar-cum-Secretary	A	01
2.	Asstt.Registrar (Ay.)	A	01
3	Asstt.Registrar (Unani)	A	01
4.	Asstt. Secretary (Regn.)	A	01
5.	Asstt.Secretary (Admn)	A	01
6.	Office Superintendent	B	01
7.	Accountant	B	01
8.	Hindi Translator	C	01
9.	Jr.Stenographer	C	03
10.	U.D.C	C	04
11.	L.D.C.	C	11
12	Duplicating Operator	C	01
13.	Daftary	D	02
14.	Peon	D	06
	Total		35

The Central Council is a small organization having 35 employees. However, every care is being taken to ensure the reservation as per order of Government of India issued from time to time. The position of reservation for different categories is as under

1. Scheduled Caste	Six
2. Schedule Tribe	Three
3. Other Backward class	Two
4. Physically Handicapped	Two

Besides the above Central Council decided to engage Experts of Ayurveda & Unani to look after the work the Ayurveda and Unani on contract basis on consolidated salary.

On the sanction of the Govt. of India, Central Council implement the decision of sitting fee of the members of Central Council.

On Recommendation of the 6th Pay Commission relating to the Travelling allowances Central Council decided the entitlement of President, Vice Presidents and Members, CCIM as under:-

- a) President, CCIM has been allowed for apex categories of daily allowance and other charges as prescribed vide OM NO. 19030/3/2008-EIV dated 23rd September, 2008 of Government of India.
- b) Vice-President (Ayurved, Unani and Siddha) and members of CCIM are allowed to pay daily Allowances on tour Rs. 1500/- per day and Rs. 200 for food.
- c) Members working under Central Government/State Government/ any other undertaking Government institution shall be allowed to enjoy the Daily Allowances etc. as applicable to above grade pay Rs. 6600/- as prescribed vide OM No. 19030/0/2008-EIV dated 23rd September, 2008 of Government of India.
- d) All members are entitled to travel by Air with the prior permission of President, CCIM for the journey more than 500 Kms.

BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimate and Revised Estimate for the year 2008-2009 and released/sanctioned by the Government are as under:-

	Non Plan (Rs.in lakh)	Plan (Rs.in lakh)
1. Budget Estimate 2008-2009 (Approved by the Council)	238.00	38.50
2. Budget Estimate 2008-2009 (allocation by the Ministry)	55.00	15.00

3. Revised Estimate 2008-2009 (Approved by the Council)	297.00	31.00
4. Revised Estimate 2008-2009 (Allocation by the Ministry)	82.00	31.00
5. Grant-in-aid (released by Ministry)	82.00	30.58

FUTURE PROGRAMMES

1. To ensure Minimum Standards of Education in Colleges of Indian Systems of Medicine.
2. To continue the review of the existing Curriculum and Syllabus for Graduate and Post-graduate courses of Ayurveda, Unani and Siddha by organising Workshops.
3. To prepare & maintain the Central Register of Indian Medicine.
4. To organize Seminars on various important topics of Indian Systems of Medicine.
5. Visitation of Ayurveda, Unani and Siddha colleges imparting education in Graduate and Post-graduate courses in these Systems.
6. To issue the Enrolment Certificate to the practitioners of Indian Systems of Medicine.
7. To issue Direct Registration Certificate to practitioners of Indian Systems of Medicine of those States where State Registration Board/Council does not exist.
8. To consider the application for establishing of new Ayurved, Siddha and Unani College, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity by a medical college as per provisions of the "Establishment of New Medical College, Opening of New Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical Colleges Regulations, 2003.
9. To furnish the recommendations to Govt. of India for permission as required under Section 13 C and 13 A of IMCC Act, 1970.
10. Framing of Post-graduate Diploma course in Ayurved in various specialties.
11. Updation of Web Site

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT,
CENTRAL REVENUES
NEW DELHI-110002

NO. AMG-IV/SAR/C.C.I.M./2009-10/726

Dated -14.09.2009

Copy of the certified annual accounts alongwith Annual Account of the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Shri P.R. Sharma, Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61&65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi 110058 for necessary action. One copy of the certified Hindi Annual Account may be forwarded to this office.

Two copies of documents submitted to Parliament, showing the dates when they were submitted to Parliament may be furnished to this office of the Comptroller General of Audit, India.

Sd/-
Director of Audit
(AMG-IV)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General
of India on the accounts of Central Council of Indian
Medicine for the year ended 31st March,2009

We have audited the attached Balance Sheet of Central Council of Indian Medicine as at 31st March,2009 and the Income & Expenditure Accounts/ Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act,1971 read with Rule 86 of the Council's Regulations, 1976 made under Indian Medicine Central Council Act,1970. These financial statements are the responsibility of the Council's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

1. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performances aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the managements, as well as evaluating the over all presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. **Based on our audit, we report that:**
 - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ii. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment

Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Central Council of Indian Medicine in so far as it appears from our examination of such books.
- iv. We further report that;

A Balance Sheet

A.1 Liabilities

No provision has been made for gratuity and leave encashment resulting in understatement of liability and expenditure. The amount could not be quantified.

A.2 Assets

A.2.1 Investments-Non adherence to the pattern for investment of GPF/ Pension Fund

The Council had not made Investments as per the pattern prescribed by the Ministry of Finance vide notification No.F.5(53)/2002-ECB & PR dated 24.1.2005.

B Notes on accounts and accounting policies

As per Notes on accounts and accounting policies, rate of depreciation was 25% on office equipments whereas CCIM charged depreciation at the rate of 15% (Sch-8) Thus there was a variation between rate of depreciation actually charged by CCIM and mentioned in accounting policies, which needs to be corrected.

C. General

The consolidated Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account should be prepared by using the columns for Grant-in-aid, funds from our own sources etc. At present, three sets of accounts are prepared which are independent of each other and do not give a comprehensive picture of the financial position of the organization.

D. Grant-in-aid

The Council received grant-in-aid Rs.112.58 lakh (Rs.30.58 lakh for Plan and Rs.82 lakh for Non-Plan) It utilized a sum of Rs.386.23 lakh (Plan Rs.32.88 lakh and Non-Plan Rs.353.35 lakh) leaving a balance of Rs.26.56 lakh (Non Plan).

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements and together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine as at 31st March,2009; and
 - b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India
Sd/-

Place: New Delhi
Date: 14.9.09

Director General of Audit
Central Revenues

Annexure I

To audit report of Central Council of Indian Medicine for the year 2008-09

1. Adequacy of Internal audit system:

- * The Internal audit is being conducted by the PAO of the Ministry of Health & Family Welfare, who have conducted audit up to 2008-09.
- * Proper follow up of action was not taken up to get the objections settled. 18 paras for period from 2006-07 to 2008-09 are outstanding. The money value of outstanding paras is not-known.

2. Adequacy of Internal Control System

Control environment

- * The recruitment rules have not been approved by the administrative Ministry.

Monitoring

- * The response of the management to audit objections is not effective. 12 paras for the period from 2004-05 to 2007-08 are outstanding.

3. System of physical verification of assets:

- * The physical verification of fixed assets for the period 2008- 09 was conducted and no deficiency has been reported.

4. System of physical verification of inventory

- * The physical verification of books and publications, stationery and other consumable items had been conducted for the year 2008-09

5. Regularity in payment of dues

- * As per accounts no payments over six months in respect of statutory dues were outstanding as on 31.3.2009.

FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI

(NON-PROFIT ORGANIZATION) FOR THE YEAR 2008 - 09

CONTENTS

HEAD	PAGE NO.
BALANCE SHEET	1
INCOME & EXPENDITURE	2
SCHEDULES TO FINANCIAL STATEMENTS	3 to 25
STATEMENTS OF RECEIPTS AND PAYMENTS	26
PENSION FUND BALANCE SHEET AND RECEIPTS & PAYMENTS	27 to 30
ACCOUNT	31 to 34
G.P.F. BALANCE SHEET AND RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS	

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2009

(Amount Rs.)

CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON - PLAN	PLAN	NON - PLAN	PLAN
Corpus fund	1 (NP) & 9 (P)	93,20,626	5,43,538	79,94,877	6,35,934
Public Deposit account	2	5,24,43,278	-	5,53,76,491	-
Current liabilities	3	17,500	-	12,500	-
Investments others	4	91,83,517	-	1,04,96,494	-
TOTAL		7,09,64,921	5,43,538	7,38,80,362	6,35,934
ASSETS					
Fixed Assets (SCHEDULE 8)		24,96,006	5,23,578	19,05,674	6,15,974
Current Assets, Advances Etc.	5 (NP) & 10 (P)	12,300	19,960	14,700	19,960
Outstanding fees	6 (NP)	37,13,792		36,21,792	
Investments		91,83,517		1,04,96,494	
Postage Stamp	7 (NP)	13,499		16,097	
Closing Balance					
Cash at Bank (Internal Fund)		3,23,903		52,802	
Cash at Bank (Public Deposit Account)		5,24,43,278		5,53,76,491	
Accrued Interest Public Deposit Account		27,78,626		23,96,312	
TOTAL		7,09,64,921	5,43,538	7,38,80,362	6,35,934
Notes on Accounts and Significant Accounting Policies	21				

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2009

(Amount Rs.)

INCOME	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON - PLAN	PLAN	NON - PLAN	PLAN
Grant-in-aid	11 (NP)	82,00,000	30,58,115	50,00,000	18,60,253
Fee	14 (NP)	2,05,09,238		3,80,58,428	-
Other Receipts		3,02,820		2,60,683	-
Accrued interest Public Deposit Account		27,78,626		23,96,312	-
Transfer from Public Deposit Account		62,00,000			-
TOTAL A		3,79,90,684	30,58,115	4,57,15,423	18,60,253
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	15 (NP)	95,43,121		67,56,371	-
Administrative Expenses	16 (NP) & 19 (P)	1,07,25,621	31,95,630	90,44,694	17,58,115
Travelling Expenses	18 (NP)	1,34,93,032		59,23,686	-
Depreciation (Schudide-8)		49,13,49	92,396	3,68,054	1,08,701
Refundable unspent balance		-	4,370	-	1,41,885
TOTAL B		3,42,53,123	32,92,396	2,20,92,805	20,08,701
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		37,37,561	-2,34,281	2,36,22,618	-1,48,448
Transfer to Public Deposit Account				2,14,00,000	-
Transfer to Corpus Fund	17 (N.P)	10,81,681		14,56,431	
Transfer to President Relief Fund		15,500			
BALANCE BEING SURPLUS/DEFICIT CARRIED TO CORPUS FUND		+37,22,061	-2,34,281	+22,22,618	-1,48,448
Notes on accounts and significant accounting policies	21				

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND NON -PLAN

SCHEDULE-1

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

CORPUS FUND	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
As per last Balance Sheet	79,94,877		70,09,442	
Addition : Excess of Income over Expenditure	37,22,061		22,22,618	
	1,17,16,938		92,32,060	
Deduction:-Adjusted Accrued interest 2007-08	23,96,312			
Deduction : Assets de – capitalized penalty & Lib. Book		93,20,626	12,37,183	79,94,877
TOTAL		93,20,626		79,94,877

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT

SCHEDULE-2

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Public Deposit Account				
As per last Account	5,53,76,491		3,30,22,768	
Addition : During the year	=		2,14,00,000	
	5,53,76,491		5,44,22,768	
Less : Adjusted during year	62,00,000			
Add.:- Interest earned	4,91,76,491			
	32,66,787		9,53,723	5,53,76,491
TOTAL		5,24,43,278		5,53,76,491

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF CURRENT LIABILITIES NON-PLAN

SCHEDULE-3

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
CURRENT LIABILITIES				
Security				
As per last Account			10,000	
Addition : during the year	12,500		<u>2,500</u>	
	5,000		<u>12,500</u>	
	17,500			
Less : Adjusted during the year	Nil		Nil	
		17,500		12,500
TOTAL		17,500		12,500

52

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
INVESTMENTS IN RESPECT OF PENSION FUND & GPF

SCHEDULE-5

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
PENSION FUND				
Investments as F.D.			33,00,000	
Cash at Bank	10,00,000		1,62,087	
Accrued interest 2008-09	2,55,483		<u>1,86,529</u>	
	<u>27,942</u>			36,48,616
		12,83,425		
G.P.F.				
Investments as F.D.			61,85,261	
Cash at Bank	71,85,261		6,21,771	
Accrued interest 2008-09	6,97,008		<u>40,846</u>	
	<u>17,823</u>			68,47,878
		79,00,092		
TOTAL		91,83,517		1,04,96,494

53

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-5

DETAILS OF ADVANCES UNDER NON-PLAN

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
FESTIVAL ADVANCE		
As per last Account	14,700	16,200
Addition : during the year	21,000	24,000
	35,700	40,200
Less : Deduction during the year	23,400	25,500
	12,300	14,700
CAR ADVANCE		
As per last Account	—	13,320
Less : Deduction during the year	—	13,320
TOTAL	12,300	14,700

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-6

DETAILS OF OUTSTANDING FEES UNDER NON-PLAN

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OUTSTANDING FEES		
As per last Account	36,21,792	40,62,200
Addition : during the year	17,94,000	23,40,000
	54,15,792	64,02,200
Less : Recovery against outstanding	17,02,000	27,80,408
	37,13,792	36,21,792
OUTSTANDING PENALTY		
As per last Account	—	1,98,000
Addition : during the year	—	21,029
Less : Exempted by E.C.	—	2,19,029
	—	2,19,029
TOTAL	37,13,792	36,21,792

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009
 DETAILS OF POSTAGE STAMPS NON-PLAN
 CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-7

**DETAILS OF POSTAGE STAMPS NON-PLAN
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009**

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
POSTAGE STAMPS				
As per last Account	16,097		15,823	
Addition : during the year	41,500		50,500	
	57,597		66,323	
Less : Adjustment during the year	44,098	13,499	50,226	16,097
TOTAL		13,499		16,097

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NON-RECURRING NATURE ASSETS (2008-09) (NON-PLAN)**

SCHEDULE-8

(Amount Rs.)

S. No.	Name of Article	Opening Balance 01-04.2008	Addition	Redemption	Closing Balance 31.03.2009	Depreciations	Written Down Value
1	Furniture & Fixture	4,10,786	1,88,318	-	5,99,104	89,866	5,09,238
2	Office Equipments	12,71,079	6,63,356	-	19,34,435	2,90,165	16,44,270
3	Air Cooling	2,02,453	2,30,007	-	4,32,460	1,08,115	3,24,345
4	Booking for Library	21,356	-	-	21,356	3,203	18,153
	TOTAL	19,05,674	10,81,681		29,87,355	4,91,349	24,96,006

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-9

CORPUS FUND PLAN

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
CORPUS FUND				
As per last Balance Sheet	6,35,934		7,44,635	
Less: Excess of Expenditure over Income	2,34,281		1,48,448	
	4,01,653		5,96,187	
Add: Unspent Grant 2007-08	1,41,885	5,43,538	39,747	-
TOTAL		5,43,538		6,35,934

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-10

CURRENT ASSETS/ADVANCES PLAN

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
TELEPHONE				
As per Account	19,960	19,960	19,960	19,960
TOTAL		19,960		19,960

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
RECOVERABLE FEE DURING THE YEAR NON-PLAN**

SCHEDULE-11

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees recoverable during the year	67,40,000	65,10,000
Fees received from the New colleges	59,50,000	59,50,000
Fees received from intake capacity / Post Graduate Course	28,00,000	1,16,00,000
Fees received Enrolment	93,500	39,000
Fees received from Registration	20,000	23,000
Fees received from Right to Information	5,738	15,399
Late Fee	-	21,029
Fee received under section 13 (C)	49,00,000	1,39,00,000
TOTAL	2,05,09,238	3,80,58,428

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-8

NON-RECURRING NATURE ASSETS (2008-09) (PLAN)

(Amount Rs.)

S. No.	Name of Article	Opening Balance 01-04.2008	Addition	Redemption	Closing Balance 31.03.2009	Depreciations	Written Down Value
1	Furniture & Fixture	1,49,006	-	-	1,49,006	22,351	1,26,655
2	Office Equipments	4,08,452	-	-	4,08,452	61,268	3,47,184
3	Booking for Library	58,516	-	-	58,516	8,777	49,739
	TOTAL	6,15,974	-	-	6,15,974	92,396	5,23,578

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-12

FEE RECEIVED NON-PLAN

SCHEDULE FORMING PART OF RECEIPT AND PAYMENTS AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees received against outstanding	17,02,000	27,80,408
Fees received during the year	49,46,000	41,70,000
Fees received against New colleges	59,50,000	59,50,000
Fees received against Intake capacity / Post Graduate Course	28,00,000	1,16,00,000
Fees received against Enrolment	93,500	39,000
Fees received against Registration	20,000	23,000
Fees received against Right to Information	5,738	15,399
Fees received against Late Fee (Recognition Fee)	—	21,029
Fee received against existing college (Section 13 C) Total	49,00,000	1,39,00,000
TOTAL	2,04,17,238	3,84,98,836

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-13

RECOVERY OF ADVANCES NON-PLAN

SCHEDULE FORMING PART OF RECEIPTS AND PAYMENTS AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Festival Advance	23,400	25,500
Car Advance	-	13,320
TOTAL	23,400	38,820

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-14

OTHER RECEIPT NON-PLAN

SCHEDULE FORMING PART OF RECEIPTS AND PAYMENTS AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Interest received against Car Advance	27,212	44,520
Interest received against S.B. Account	1,55,623	1,22,730
Recovery from Employees	-	4,137
Sales of Radhi	9,200	5,550
C.G.H.S. Contribution from Employees	17,580	15,950
Interest received against H.B.A.	16,220	48,000
Interest received Computer Advance	-	5,463
Past Service	-	302
Sale of form	-	600
TPA Recovery	-	200
Book for Library	-	1,313
Maintenance	-	11,918
Fee (IPO) Received	360	-
Interest received Investment	76,625	-
TOTAL	3,02,820	2,60,83

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-15

ESTABLISHMENT EXPENSES NON-PLAN

SCHEDULE FORMING PART OF RECEIPT AND PAYMENTS AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Pay of Secretary & staff	35,75,617	29,43,753
Non-Practicing Allowance	1,05,717	129984
Dearness Allowance	12,35,189	12,26,781
House Rent Allowance	11,00,749	9,21,433
Transport Allowance	2,50,114	59,800
City Compensatory Allowance	57,600	91,300
Washing Allowance	1,920	2,100
Bonus	1,15,466	66,609
Leave Travel Concession	21,168	11,661
Overtime Allowance	34,317	27,752
Honorarium	49,750	1,06,167
Contribution to C.G.H.S.	79,101	1,07,388
Tuition Fee	960	3,000
Medical Reimbursement	1,80,132	5,49,792
Interest transferred to GPF	80,160	1,15,139
Wages	5,74,274	3,50,070
Carrier Advance Scheme	-	3,000
TA on retirement	-	40,642
Arr. Of Salary	3,95,776	-
Consolidated Salary	3,85,151	-
Arr. Of 6th Central Pay Commission	11,99,294	-
Relief to Member	1,00,000	-
N.P.S. Tier -I	666	-
TOTAL	95,43,121	67,56,371

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**SCHEDULE-16****ADMINISTRATIVE EXPENSES NON-PLAN**

SCHEDULE FORMING PART OF RECEIPTS AND PAYMENTS AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Stationery	11,69,981	6,14,173
Telephone	2,16,042	1,00,107
Postage & Telegram	2,57,480	1,09,667
Postage Stamps	44,098	50,226
Newspapers & Periodical Books	11,491	9,000
Liveries	1,595	11,685
Audit Fee	75,095	53,680
Printing	1,16,639	51,121
Legal	13,16,639	5,52,087
Publication	24,52,241	49,85,860
Bank Charges	4,225	11,550
Maintenance	39,44,448	19,63,145
Miscellaneous	2,93,843	2,40,221
T.D.S. to SBI	1,31,595	76,910
I.T. Charges	1,55,114	45,909
Courier	88,437	55,926
Taxi Hire	5,435	31,600
Advertisement	4,41,323	81,827
TOTAL	1,07,25,621	90,44,694

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**SCHEDULE-17****FIXED ASSET NON-PLAN**

SCHEDULE FORMING PART OF RECEIPTS AND PAYMENTS AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Furniture & Fixture	1,88,318	2,11,236
Office Equipment	6,63,356	10,03,565
Air Cooling Appliances	2,30,007	2,41,630
TOTAL	10,81,681	14,56,431

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**SCHEDULE-18****TRAVELLING EXPENSES NON-PLAN**

SCHEDULE FORMING PART OF RECEIPTS AND PAYMENTS AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
President/Vice-President	8,55,835	4,28,015
Secretary/Staff	1,05,404	87,551
Executive Committee	16,11,837	5,02,173
Education Committee Ayurved	-	-
Education Committee Unani	-	1,08,813
Education Committee (Siddha)	-	28,145
Sub-Committee	14,06,480	6,69,686
Member of Council	10,10,882	18,92,069
Visitation of Ayurved	42,62,832	19,39,466
Visitation of Unani	11,34,126	2,52,872
Visitation of Siddha	85,685	-
DPC/Selection Committee	1,04,304	6,980
Conveyance Expenses	5,653	7,916
Screening Committee	4,96,796	-
National Workshop (Ayurved)	24,13,198	-
TOTAL	1,34,93,032	59,23,686

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**SCHEDULE-19****ADMINISTRATIVE EXPENSES NON-PLAN**

SCHEDULE FORMING PART OF RECEIPTS AND PAYMENTS AS AT 31.3.2009

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
TRAVELLING EXPENSES		
Meeting/Workshop (Ayurved)	20,06,443	5,98,312
Meeting/Workshop (Unani)	8,16,554	4,52,726
Meeting/Workshop (Siddha)	-	1,88,102
Miscellaneous Expenses	98,307	84,589
Stationery	22,950	23,386
Remuneration	33,000	4,11,000
National Workshop (Ayurved)	2,18,376	-
TOTAL	31,95,630	17,58,115

(DR. P. R. SHARMA)
REGISTRAR

continue.....

9. There are no foreign currency transactions in the year.
10. Figures have been rounded off to nearest rupees.
11. Accounts of Pension Fund and GPF is maintained separately and is shown in Main Balance Sheet under Non Plan.
12. The Central Council of Indian Medicine is maintained Pension Fund towards meeting a Pension liabilities.
13. The Annual Accounts of the CCIM are approved by the competent authority.

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2009

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR		PAYMENTS		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	NON - PLAN	PLAN	NON - PLAN	PLAN	NON - PLAN	PLAN	NON - PLAN	PLAN	NON - PLAN	PLAN
OPENING BALANCE										
Cash in Hand	165	-	1,000	-	Estt. Expenses Sch 15 (NP)		95,43,121	-	67,56,371	-
Cash at Bank	52,637	1,41,855	8,56,419	39,747	Admn. Expenses Sch (16 Np) & 19(P)		1,07,25,621	31,95,630	90,44,694	17,58,115
Postage Stamps	16,097		15,823		Fixed Assessts Sch 17 (NP)		10,81,681	-	14,56,431	-
Grant Received	82,00,000	30,58,115	50,00,000	18,60,253	Travelling Exp. Sch 18 (NP)		1,34,93,032	-	59,23,686	-
Public Deposit Account	62,00,000		-		Festival Advance		21,000	-	24,000	-
Fee Received Sch 12 (NP)	2,04,17,238		3,84,98,836		Public Deposit Account		-	-	2,14,00,000	-
Recovery of Advances Sch 13(NP)	23,400		38,820		Relief Fund		15,500	-	-	-
Other Receipts Sch 14NP	3,02,820		2,60,683		<u>CLOSING BALANCE</u>					
Security	5,000		2,500		Cash in Hand		6,407	-	165	-
					Cash at Bank		3,17,496	4,370	52,637	1,41,885
					Postage Stamps		13,499	-	16,097	-
TOTAL	3,52,17,357	32,00,000	4,46,74,081	19,00,000	TOTAL		3,52,17,357	32,00,000	4,46,74,081	19,00,000

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PENSION CUM GRATUITY FUND BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2009

(Amount Rs.)

LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Capital Fund	22	12,83,425	36,48,616
TOTAL		12,83,425	36,48,616
Assets			
Investments in Bank		10,00,000	33,00,000
Closing Balance Cash at Bank		2,55,483	1,62,087
Accrued interest 2008-09		27,942	1,86,529
TOTAL		12,83,425	36,48,616

74

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF CAPITAL FUND IN RESPECT OF PENSION CUM GRATUITY FUND

SCHEDULE-22

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
As per last Account	36,48,616	58,21,490
Addition		
Interest earned on F.D.	3,54,755	58,988
Interest received on S.B. Account	27,942	21,578
Pension & Leave Contribution	85,979	24,366
Accrued interest 2008-09	<u>27,942</u>	<u>1,86,529</u>
	41,45,234	61,12,951
Less		
Pension Paid	9,60,164	6,13,335
Adjusted Accrued interest 2007-08	1,86,529	1,73,808
Bank Charges	-	370
Final Payments	17,15,116	16,60,184
T.D.S. deducted by bank on F.D. Total	-	16,638
TOTAL	12,83,425	36,48,616

75

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PENSION CUM GRATUITY FUND
 RECEIPTS AND PAYMENTS FOR YEAR ENDED 31st MARCH, 2009

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Opening Balance					
Cash at Bank			Monthly Pension	9,60,164	6,13,335
Income on Investments	1,62,087	12,47,682	Bank Charges	-	270
Interest received from FDR	23,00,000	10,83,362	Committed of pension	5,97,622	6,96,056
Interest Received on S.B. Account	3,54,755	58,988	Gratuity	8,13,664	6,03,556
Other Income	27,942	21,578	Leave Encashment	3,03,830	3,60,572
Schedule 23	85,979	24,366	Short debit by bank	—	100
TOTAL	29,30,763	24,35,976	Closing Balance		
			Cash at Bank	2,55,483	1,62,087
			TOTAL	29,30,763	24,35,976

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
OTHER INCOME

SCHEDULE-23

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Pension Contribution	60,443	13,321
Leave Contribution	25,536	11,045
TOTAL	85,979	24,366

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
GENERAL PROVIDENT FUND BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2009

(Amount Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
LIABILITIES			
General Provident Fund subscription	24	79,00,092	68,47,878
	79,00,092	68,47,878	
Assets			
Investments in Bank	25	71,85,261	61,85,261
Closing Balance Cash at Bank		6,97,008	6,21,771
Accrued interest 2008-09		17,823	40,846
TOTAL		79,00,092	68,47,878

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF GENERAL PROVIDENT FUND SUBSCRIPTIONS

SCHEDULE-24

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
As per last Account	68,47,878	60,19,989
Addition		
Subscription & Recovery of Advances	18,67,160	14,74,655
Interest on F.D.	4,55,836	3,76,559
Interest on S.B. Account	24,743	19,335
Interest transferred from N.P	80,160	<u>1,15,139</u>
Accrued interest 2008-09	<u>17,823</u>	40,846
	92,93,600	80,46,523
Less		
Final Payment & Withdrawal	8,08,662	9,46,440
Advances to employees	5,44,000	2,20,000
Adjusted Accrued interest 2007-08	<u>40,846</u>	32,205
TOTAL	13,93,508	11,98,645
	79,00,092	68,47,878

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-25

GENERAL PROVIDENT FUND

DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2009

(Amount Rs.)

SL.NO.	TDR NO.	RECEIPT NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	AMOUNT
1	TD.A/41	154826	0120102811205	Matured on 19.10.2011	3,00,000.00
2	TD.A/48	65013	0120102811206	Matured on 27.10.2011	9,00,000.00
3	TD.A/61	65993	0120102811209	Matured on 21.01.2012	3,00,000.00
4	TD.A/61	66301	0120102811210	Matured on 09.04.2012	5,00,000.00
5	T.D CS/004	428341	0120102811213	Matured on 04.11.2010	6,00,000.00
6.	Bank of India, Jhandewalan, New Delhi			Special Deposit scheme	2,85,261.00
7	T.D.C.S./004	431821	30024806985	Matured on 01.12.2011	10,00,000.00
8	T.D.C.S./004	432925	30072330157	Matured on 30.08.2009	6,00,000.00
9	T.D.C.S./004	434762	30153505414	Matured on 28.03.2011	7,00,000.00
10	T.D.C.S./004	438504	30312702913	Matured on 18.01.2011	10,00,000.00
11	TDA/60	643909	30727318651	Matured on 29.03.2012	10,00,000.00
TOTAL					71,85,261.00

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

GENERAL PROVIDENT FUND

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR YEAR ENDED 31st MARCH, 2009

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OPENING BALANCE					
Cash at Bank	6,21,771	4,27,523	Advances	5,44,000	2,20,000
INTEREST RECEIVED			Withdrawal & Final Payment	8,08,662	9,46,440
Interest earned on F.D	4,55,836	3,76,559	Investment in F.D	10,00,000	10,00,000
Interest Received on S.B. Account	24,743	19,335			
Interest transferred from N.P.	80,160	1,15,139			
OTHERS RECEIPTS			CLOSING BALANCE		
Subscription & Recovery of Advances	18,67,160	14,74,655	Cash at Bank	6,97,008	6,21,771
Matured F.D.R.	-	3,75,000			
TOTAL	30,49,670	27,88,211	TOTAL	30,49,670	27,88,211